रजिस्ट्री सं० डी—(डी)—73

REGISTERED NO. D—(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 24, 1981 (माघ 4, 1902)

No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 24, 1981 (MAGHA 4, 1902)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . .	43
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	89
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	3
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	99
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक और विधेयक संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें . .	*
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिसमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) .	147
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	237
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश .	17
भाग III—खण्ड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	811
भाग III—खण्ड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	31
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	5
भाग III—खण्ड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की कोई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	693
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	11

* पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई

1—421 GI/80

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	43
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	89
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	3
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	99
PART II—SECTION 1.—Act, Ordinances and Regulations.	*
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	*
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	811
PART III—SECTION 2.—Notification and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	31
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	5
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	693
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	11

*Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

योजना आयोग

संकल्प

नई दिल्ली-110001, दिनांक 19 दिसम्बर 1980

स० ई० 11015/3/80-हिन्दी—भारत सरकार ने योजना मंत्रालय के लिए एक हिन्दी सलाहकार समिति बनाने का निर्णय किया है। समिति का गठन कार्य, आदि निम्नलिखित होंगे :—

1.	योजना मंत्री	अध्यक्ष
	लोक सभा से दो ससद सदस्य	
2.	नामित किए जाने है	सदस्य
3		सदस्य
	राज्य सभा से दो ससद सदस्य	
4.		सदस्य
5.	नामित किए जाने है	सदस्य
	संसदीय राजभाषा समिति से दो संसद सदस्य	
6	नामित किए जाने हैं	सदस्य
7.		सदस्य
	संस्थाओं आदि के प्रतिनिधि	
8.	अध्यक्ष, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्, नई दिल्ली	सदस्य
9.	श्री रमा प्रसन्न नायक, कुलपति, जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर	सदस्य
10.	डा० प्रभाकर माचवे, निदेशक, भारतीय भाषा संस्थान, कलकत्ता	सदस्य
11.	श्री गंगा शरण सिंह, अध्यक्ष, अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ, दिल्ली	सदस्य
12.	डा० धर्मवीर भारती, सम्पादक, धर्मयुग, टाइम्स आफ इंडिया, बी० टी०, बंबई	सदस्य
13	श्री आनन्द जैन, सम्पादक नवभारत-टाइम्स, नई दिल्ली	सदस्य
14.	डा० महावीर अधिकारी, करीम मनोर, दूसरी मंजिल, ओवंडन रोड़, कामदेवी, बंबई	सदस्य
15.	श्री सुरेन्द्र वर्मा, अखिल भारतीय लघु समाचार पत्र संपादक मंडल, 4021, बगीची रामचन्द्र पहाड़गंज, नई दिल्ली	सदस्य
16.	श्री मुकुल चन्द्र पाठेय, महामंत्री, हिन्दी व्यवहार संगठन, 10/11, त्रिवेणी नगर, सीतापुर रोड़, लखनऊ	सदस्य
17.	श्री भगवतीशरण सिंह, अवकाश प्राप्त शिक्षा सचिव और लेखक, महानगर लखनऊ	सदस्य
18.	श्री राम सहाय पाण्डे, 141, जय राज हाउस, कोलाबा, बम्बई-5	सदस्य
	अधिकारीगण	
19.	सदस्य-सचिव, योजना आयोग	सदस्य
20.	सचिव, सांख्यिकी विभाग	सदस्य
21.	सचिव, राजभाषा विभाग और भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार	सदस्य
22.	सलाहकार (प्रशासन), योजना आयोग	सदस्य
23.	सलाहकार (योजना समन्वय), योजना आयोग	सदस्य
24.	निदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन	सदस्य
25.	संयुक्त सचिव (राज्य योजना) योजना आयोग	सदस्य
26.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन	सदस्य
27.	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य

28.	निदेशक (प्रशासन), योजना आयोग	सदस्य
29.	वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी, योजना आयोग	सदस्य-सचिव

(2) समिति के कार्य :

यह समिति योजना मंत्रालय के कामकाज में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग से संबंधित मामलों और संबद्ध विषयों में सलाह देगी।

(3) कार्यकाल :

समिति के सदस्यों का कार्यकाल सामान्य रूप से समिति के गठन की तारीख से, निम्नलिखित बातों के अधीन, तीन वर्ष होगा :—

(क) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रह सकेंगे।

(ख) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक समिति के सदस्य रहेंगे।

(ग) यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण अथवा समिति की सदस्यता से त्याग पत्र दे देने के कारण स्थान खाली होता है, तो उस स्थान पर नियुक्त सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहेगा।

(4) सामान्य :

(1) समिति अतिरिक्त सदस्यों को भी सहयोजित-सदस्यों के रूप में नामित कर सकती है और समय-समय पर आवश्यकतानुसार अपनी बैठकों में विशेषज्ञों को भी आमंत्रित कर सकती है।

(2) समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा किन्तु समिति अपनी बैठकें आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य स्थान पर भी कर सकती है।

(5) यात्रा-भत्ता तथा अन्य भत्ते :

गैर-सरकारी सदस्यों को समिति की बैठकों में समय-समय पर भाग लेने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निश्चित दरों पर यात्रा तथा दैनिक भत्ते दिए जाएंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

योगेन्द्र मोहन,
निदेशक (प्रशासन)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

कम्पनी कार्य विभाग

नई दिल्ली-1, दिनांक 2 जनवरी 1981

आदेश

सं० 27(26)/80-सी० एल०-2—कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 209 क की उप-धारा (1) के खंड (2) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कम्पनी कार्य विभाग के उप संयुक्त निदेशक (निरीक्षण) श्री ओ० पी० चड्ढा को कथित धारा 209 क के उद्देश्य के लिए प्राधिकृत करती है।

केशव प्रसाद, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 29 दिसम्बर 1980

संकल्प

फा० सं० एफ० 20016/1/80-समन्वय—राजस्व विभाग के संकल्प फा० सं० एफ०-20016/2/78 समन्वय, दिनांक 30 अक्तूबर 1978 के अंतर्गत यथा गठित सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क परामर्शदात्री परिषद का नीचे दिए अनुसार पुनर्गठन किया जाता है :—

(1)	(क) अध्यक्ष	वित्त मंत्री
	(ख) उपाध्यक्ष	राजस्व और व्यय मंत्री

(2) दो संसद सदस्य (दोनों सदनों से एक-एक)

(क)	श्री बी० बी० देसाई	लोक सभा
(ख)	श्री मुल्क गोविन्द रेड्डी	राज्य सभा

(3) सात पदेन सदस्य :—

(क) अध्यक्ष, भारतीय वाणिज्य और उद्योगमंडल संघ।

(ख) उपाध्यक्ष, भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ।

(ग) अध्यक्ष, भारतीय वाणिज्य और उद्योग सह मंडल।

(घ) अध्यक्ष, अखिल भारतीय निर्माता संगठन

(ङ) अध्यक्ष, अखिल भारतीय आयातकर्ता संघ

(च) अध्यक्ष, अखिल भारतीय निर्यातकर्ता मंडल।

(छ) अध्यक्ष, भारतीय लघु उद्योग, संस्था संघ;

(4) भारत सरकार द्वारा समय-समय पर कम से कम आठ सदस्यों की नामजदगी की जानी होती है :—

1. श्री शशिकांत गरवारे, गरवारे उद्योग समूह में विभिन्न कम्पनियों के अध्यक्ष।

2. श्री बी० एल० दत्त, प्रबन्ध निदेशक, मैसर्स के० सी० पी० लि०, मद्रास

3 श्री एच० पी० नदा, अध्यक्ष, एस्कोर्टस (प्रा०) लि० ।

4 श्री प्रफुल्ल अनुभाई, अध्यक्ष, अहमदाबाद टैक्सटाइल मिल्स संघ, अहमदाबाद ।

5 श्री ए० शिवसेलम, अध्यक्ष, आमलगमेशन लि०, मद्रास

6 श्री एम० बी० भास्कर, प्रबन्ध निदेशक, मैसर्स ग्रीवस काटन एंड क०, बम्बई ।

7 श्री सजय सैन, मैसर्स सैन एंड पंडित लि०, कलकत्ता

8 श्री एस० बी०सैन, अध्यक्ष, फैडरेशन आफ फेट फारवर्डर्स एसोसिएशन इन इंडिया ।

(5) महानिदेशक, लोक उद्यम कार्यालय,

(6) वित्त सचिव

(7) अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड ।

(8) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के सभी सदस्य

(9) स्वर्ण नियंत्रण प्रशासक

(10) अवर सचिव (तस्करी निवारक)

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के सचिवों/निदेशकों में से एक अधिकारी परिषद के सचिव के रूप में कार्य करेगा ।

2 गैर सरकारी नामजद सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा । ससद-सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष अथवा उनके ससद सदस्य नहीं रहने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगा ।

परिषद का अध्यक्ष, परिषद की किसी भी बैठक में किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का खासतौर पर निमंत्रित कर सकता है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, भारत का नियंत्रक-महा लेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, भारत का लेखा महानियंत्रक, भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग, पत्र सूचना कार्यालय, लेखा मुख्य नियंत्रक, के० उ० शु० और सी० शु० बोर्ड, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क के सभी समाहर्ता और सीमा शुल्क और के० उ० शु० परामर्शदात्री परिषद् के सभी सदस्यों को भेजी जाय ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए ।

ए० के० बद्योपाध्याय, अपर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली-110 016, दिनांक 31 दिसम्बर 1980

विषय —अंतर्राष्ट्रीय जल वैज्ञानिक कार्यक्रम के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति के कार्यकाल में वृद्धि ।

स० 1(1)/78 (एन०)-आई० एच० पी०—उपर्युक्त विषय पर 18 अगस्त, 1980 की अधिसूचना सं० 1(1)/78 (एन०)-आई० एच० पी० के अनुक्रम में अंतर्राष्ट्रीय जल वैज्ञानिक कार्यक्रम के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का कार्यकाल 31-3-1981 तक बढाया जाता है ।

एम० जी० के० मैनन,
सचिव,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ।

शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय
(शिक्षा विभाग)
(एशियाई खेल सैल)

नई दिल्ली, दिनांक 1 दिसम्बर 1980

विषय —1982 के एशियाई खेलों से संबंधित संचालन समिति का पुर्नगठन ।

स० फा० 1-2/80-एशियाई खेल सैल (डी० 4 खेल)—उपर्युक्त विषय में संबंधित शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के समसख्यक संकल्प दिनांक 4 अगस्त, 1980, 21 अगस्त, 1980, 26 सितम्बर, 1980 और 7 अक्तूबर, 1980 के क्रम में यह निर्णय किया गया है कि श्री सवाई सिंह सिसोदिया, वित्त राज्य मंत्री, 1982 के एशियाई खेलों से संबंधित संचालन समिति के सदस्य होंगे और श्री आर० वेंकटरमन वित्त मंत्री के स्थान पर संचालन समिति की वित्त समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे ।

एस० राममूर्ति, संयुक्त सचिव

संचार मंत्रालय
(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 30 दिसम्बर' 1980

संकल्प

स० ई०-12016/1/73-हिन्दी-क—भारत सरकार 1 जनवरी, 1981 से संचार मंत्रालय में डाक-तार हिन्दी सलाहकार समिति को पुनर्गठित करने का निश्चय किया है । समिति का गठन और कार्य-कलाप इस प्रकार है —

(1) गठन

1	संचार मंत्री	अध्यक्ष
2	संचार राज्य-मंत्री	उपाध्यक्ष
3	संचार उप-मंत्री	उपाध्यक्ष
4	सचिव (संचार)	सदस्य
5	सदस्य (प्रशासन), डाक-तार बोर्ड	सदस्य
6	सदस्य (डाक-प्रचालन), डाक-तार बोर्ड	सदस्य

7.	सदस्य (दूरसंचार प्रशासन), डाक-तार बोर्ड	सदस्य
8.	सचिव, डाक-तार बोर्ड	सदस्य
9.	अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड, मद्रास	सदस्य
10.	भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार तथा सचिव (राजभाषा विभाग)	सदस्य
11.	निदेशक (राजभाषा), डाक-तार बोर्ड	सदस्य-सचिव
12.	श्री फतेहभानु चौहान, संसद सदस्य, लोक सभा	सदस्य
13.	श्री टी० बालोदय रेड्डी, संसद सदस्य, लोकसभा	सदस्य
14.	श्री पी० के० प्रजापति, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
15.	नामित करना है संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
16.	श्री रामावतार शास्त्री, संसद सदस्य	सदस्य
17.	श्री गणपत हीरालाल भगत, संसद सदस्य	सदस्य
18.	श्री नजीर बनारसी, पांडे हवेली, वाराणसी	सदस्य
19.	डा० मलिक मोहम्मद, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, कालीकट विश्वविद्यालय, केरल	सदस्य
20.	डा० नगेन्द्र, ई-4/18, माडल टाउन, दिल्ली-110009	सदस्य
21.	डा० प्रभाकर माचवे, निदेशक, भारतीय भाषा परिषद, 36-ए, शेक्सपीयर सरणी, कलकत्ता-700017	सदस्य
22.	प्रो० डी० एल० मुनीम, सदस्य, गुजरात लोक सेवा आयोग, अहमदाबाद	सदस्य
23.	डा० (श्रीमती) कणिका तोमर, रीडर, हिन्दी विभाग, शांतिनिकेतन, बोलपुर-731235 (पं० बंगाल)	सदस्य
24.	प्रो० ना० नागप्पा, 1616, फिफ्त क्रास, होसकेरी, मैसूर-570004	सदस्य
25.	फादर कामिल बुल्के, मानरेसा हाऊस, प्रोफेसर बंगला नं० 2, रांची-834001	सदस्य
26.	श्री गो० प० नेने, 61/21, ग्रेरंडवर्ण, भारती निवास कालोनी, पुणे-4	सदस्य
27.	डा० सीताराम जायसवाल, पंचवटी महानगर, लखनऊ-226001	सदस्य
28.	डा० (श्रीमती) प्रीतिलता त्रिपाठी, 5, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001	सदस्य
29.	डा० रामदेव कुमार, प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, रांची विश्वविद्यालय, रांची	सदस्य
30.	प्रो० योगेश चन्द्र चौधरी, बी० एम० कालेज, पटना-800004	सदस्य
31.	श्री वी० आंजनेय शर्मा, कुलसचिव, उच्च शिक्षा और शोध संस्थान, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद-500004	सदस्य

(2) कार्यकाल : समिति के सदस्यों का कार्यकाल साधारणतया 1 जनवरी, 1981 से तीन वर्ष के लिए होगा।

(3) कार्यकलाप : समिति का काम डाक-तार विभाग तथा संचार मंत्रालय के सरकारी काम में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए सरकार को सलाह देना होगा। समिति को उप-समितियां बनाने और समिति के कामों में सहायता पहुंचाने के लिए अतिरिक्त सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार होगा।

(4) मुख्यालय : समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति प्रधान मंत्री सचिवालय, संसदीय कार्य-विभाग, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेज दी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्व-साधारण की सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

हसमुख शाह,
सचिव, डाक-तार बोर्ड

नौवहन और परिवहन मंत्रालय
(नौवहन पक्ष)
नई दिल्ली, दिनांक 1 जनवरी 1981

सं० एस० डब्ल्यू०/एम० टी० एस० (23)/80-एम० टी०—भारत सरकार के भूतपूर्व परिवहन और संचार मंत्रालय (परिवहन विभाग) के संकल्प सख्या 24-एम० टी० (6)/52 दिनांक 17-8-1959 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने इस संकल्प के जारी किए जाने की तारीख से दो वर्षों के लिए व्यापार नौ प्रशिक्षण बोर्ड का पुनः गठन किया है, जो निम्न-प्रकार है :—

(1)	श्री चन्द्रभान अठारे पाटिल संसद सदस्य (लोक सभा)	अध्यक्ष
(2)	नौवहन महानिदेशक, बम्बई	उपाध्यक्ष (पदेन)
(3)	श्री एस० के० वैशम्पायन, संसद सदस्य (राज्य सभा)	संसद का प्रतिनिधि
(4)	नौवहन और परिवहन मंत्रालय में व्यापार नौ प्रशिक्षण संस्थानों से संबंधित संयुक्त सचिव।	सदस्य (पदेन)

(5) संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त प्रभाग, नौवहन और परिवहन मंत्रालय	सदस्य (पदेन)
(6) भारत सरकार के नौ-सलाहकार, बम्बई	—यथोक्त—
(7) भारत सरकार के मुख्य सर्वेक्षक, बम्बई	—यथोक्त—
(8) प्रिंसिपल, लाल बहादुर शास्त्री नाटिकल और इंजीनियरिंग कालेज, बम्बई।	—यथोक्त—
(9) कप्तान अधीक्षक, प्रशिक्षण पोत 'राजेन्द्र', बम्बई	—यथोक्त—
(10) निदेशक, समुद्री इंजीनियरी प्रशिक्षण, कलकत्ता।	—यथोक्त—
(11) अधीक्षक, रोटंग प्रशिक्षण संस्थान 'भद्रा' कलकत्ता।	—यथोक्त—
(12) सहायक शैक्षणिक सलाहकार (टी०), वैस्टर्न रीजनल आफिस, शिक्षा और सांस्कृतिक मंत्रालय, दूसरी मंजिल, इंडस्ट्रियल एशौरेन्स बिल्डिंग, बम्बई।	—यथोक्त—
(13) नौ-प्रशिक्षण के संयुक्त निदेशक, नौ-सेना मुख्यालय, दिल्ली	—यथोक्त—
(14) प्रो० एस० सम्पत, सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग,	अखिल भारत तकनीकी शिक्षा परिषद के प्रतिनिधि।
(15) कैप्टन सी० जी० भूत मुख्य कार्मिक प्रबंधक, भारतीय नौवहन निगम, लिमिटेड, बम्बई।	भारतीय नौवहन निगम के प्रतिनिधि।
(16) कैप्टन गोपाल कृष्ण लाजमी हारब मास्टर, बम्बई पत्तन न्यास, बम्बई।	पत्तन न्यासों के प्रतिनिधि
(17) श्री टी० एस० गोकुलदास	इंडियन नेशनल शिपओनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि।
(18) कैप्टन एस० के० मिश्रा	—यथोक्त—
(19) श्री के० एस० भंडारकर (कप्तान आर प्रेम चन्द, इंडिया स्टीमशिप कंपनी लिमिटेड-यदि बोर्ड की बैठक कलकत्ता में हो तो वैकल्पिक प्रतिनिधि)	ओनर्स/एजेन्ट समिति (कर्मीदल), बम्बई/कलकत्ता के प्रतिनिधि।
(20) कैप्टन एं० आई० आई० इपे, मैसर्स कामथ एंड डी 'आआओ पोस्ट बाक्स नं० 578, कोचीन-682003	फैडरेशन आफ इंडियन चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधि।
(21) श्री के० ई० सुखिया	मैरिटाईम यूनियन आफ इंडिया के प्रतिनिधि।
(22) श्री लियो बार्नस	नेशनल यूनियन आफ सीफेयर्ज आफ इंडिया के प्रतिनिधि।
(23) श्री बिजोय मुकर्जी	नेशनल यूनियन आफ सीमेन आफ इंडिया, कलकत्ता के प्रतिनिधि।
(24) नौवहन उप महा निदेशक, जो मर्चेन्ट नैवी, ट्रेनिंग कार्य से संबंधित हों।	सदस्य-सचिव

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि राष्ट्रपति के निजी और सेना सचिवों, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, सभी राज्य सरकारों, पत्तन न्यासों, और नौवहन महा निदेशक, बंबई को प्रेषित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ए० पद्मनाभन,
संयुक्त सचिव,

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली दिनांक, 24 जनवरी, 1981

नियम

सं० 80/ई० (जी० आर०)/I/1/7—यांत्रिक इंजीनियरों को भारतीय रेल सेवा में विशेष श्रेणी अप्रेंटिसों के रूप में नियुक्ति के लिये उम्मीदवारों का चयन करने के उद्देश्य से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1981 में ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम आम जानकारी के लिये प्रकाशित किये जाते हैं।

2. परीक्षा परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का उल्लेख आयोग द्वारा जारी किये जाने वाले नोटिस में किया जायेगा। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के सम्बन्ध में रिक्तियों का आरक्षण भारत सरकार द्वारा नियत संख्या में किया जाएगा।

अनुसूचित जातियों/जन जातियों से अभिप्राय निम्नलिखित आदेशों में उल्लिखित जातियों/जन जातियों में से किसी एक से है :—

संविधान (अनुसूचित जाति), आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित

जन जाति सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश, राज्य अधिनियम, 1970, उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन जातियां आदेश, (संशोधन) अधिनियम, 1976 (द्वारा यथा संशोधित), संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 संविधान, (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1959, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा यथा संशोधित, संविधान (दादर और नागर हवेली), अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (दादर और नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962 संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान (गोआ दमन और दियू) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968, तथा संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजातियां आदेश 1970।

3. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट I में निर्धारित ढंग से ली जायेगी।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किये जायेंगे।

4. उम्मीदवार के लिये आवश्यक होगा कि वह या तो :—

(क) भारत का नागरिक होना चाहिये, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया, हो, या

(ङ) कोई भारत मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थाई रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, और कीनिया, उगांडा तथा तंजानिया संयुक्त गणराज्य, पूर्वी अफ्रीकी देशों से या जांबिया, मलावी, जैरे, इथियोपिया और वियतनाम से आया हो।

परन्तु (ख), (ग), (घ) और (ङ) वर्गों के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवारों के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता (एलिजिबिलिटी) प्रमाण पत्र होना चाहिए।

ऐसे उम्मीदवारों को भी उक्त परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है जिसके बारे में पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक हो किन्तु उसको नियुक्ति प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा उसके सम्बन्ध में पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर दिये जाने के बाद ही भेजा जा सकता है।

5. (क) उम्मीदवार के लिये आवश्यक है कि उसकी आयु 1 जनवरी, 1981 की 16 वर्ष हो चुकी हो लेकिन 20 वर्ष न हुई हो अर्थात उसका जन्म 2 जनवरी, 1961 से पहले और 1 जनवरी, 1965 के बाद न हुआ हो।

(ख) ऊपर बताई गई अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित मामलों में ढील दी जा सकेगी :—

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष।

(ii) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बांगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष।

(iii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित जनजाति का हो तो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का सदृभाविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष।

(iv) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से वास्तविक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो और अक्टूबर 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष।

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का हो और श्रीलंका से वास्तविक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तथा अक्टूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष।

(vi) यदि उम्मीदवार बर्मा से वास्तविक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष।

(vii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो और बर्मा से वास्तविक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो तथा उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष।

(viii) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से मुक्त किये गये रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक तीन वर्ष।

(ix) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किये गये ऐसे रक्षा कार्मिकों के लिये, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के हों, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष।

(x) 1971 के भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान कार्यवाही में विकलांग होने के परिणामस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किये गये सीमा सुरक्षा दल के रक्षा कार्मिकों के लिये अधिक से अधिक तीन वर्ष।

(xi) वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाही में विकलांग होने के परिणामस्वरूप सेवा में निर्मुक्त सीमा सुरक्षा दल के उन रक्षा कार्मिकों के लिये, जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति के हों, अधिक से अधिक आठ वर्ष।

(xii) यदि कोई उम्मीदवार वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति (जिसके पास भारतीय पार पत्र हो) और ऐसा उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपातकाल का प्रमाणपत्र है, और जो वियतनाम से जुलाई, 1975 से पहले भारत नहीं आया है, तो उसके लिये अधिक से अधिक तीन वर्ष।

(xiii) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो उसने कीनिया, उगांडा और तंजानिया के संयुक्त गणराज्य से प्रव्रजन किया हो या जांबिया, मलावी, जेरे और इथियोपिया से प्रत्यावर्तित हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक।

6. उम्मीदवार ने—

(क) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा गणित के साथ और भौतिकी और रसायन विज्ञान में से कम से कम एक विषय लेकर प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास की हो।

(ख) स्कूली शिक्षा की 10+2 प्रणाली के अंतर्गत सीनियर सेकेण्डरी (12 वर्ष) परीक्षा गणित के साथ भौतिकी तथा रसायन विज्ञान में से कम से कम एक विषय लेकर प्रथम और/या द्वितीय श्रेणी में पास की हो, या

(ग) किसी विश्वविद्यालय के तीन वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम वर्ष की परीक्षा या ग्रामीण उच्चतर शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् की ग्रामीण सेवाओं में तीन वर्ष के डिप्लोमा पाठ्यक्रम की प्रथम परीक्षा पास की हो या मद्रास विश्वविद्यालय (शाम के कालेज) के स्नातक कला विज्ञान के चार वर्षीय पाठ्यक्रम के चौथे वर्ष में प्रोन्नति के लिये तीसरे वर्ष की परीक्षा पास की हो, जिसमें गणित के साथ भौतिकी और रसायन विज्ञान में से कम से कम एक विषय रहा हो, लेकिन शर्त यह है कि डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले उसने उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या पूर्व विश्वविद्यालय या समकक्ष परीक्षा प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास की हो।

जिन उम्मीदवारों के तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा प्रथम या द्वितीय श्रेणी में गणित के साथ और भौतिकी और रसायन विज्ञान में से एक विषय के साथ पास की हो वे आवेदन पत्र भेज सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा किसी विश्वविद्यालय द्वारा ली गई हो; या

(घ) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किसी विश्वविद्यालय की पूर्व इंजीनियरी परीक्षा प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास की हो; या

(ङ) किसी भारतीय विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त बोर्ड की पूर्व व्यावसायिक/पूर्व तकनीकी परीक्षा जो उच्चतर माध्यमिक या पूर्व विश्वविद्यालय स्तर के एक वर्ष बाद ली गई हो, प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास की हो और परीक्षा के विषयों में गणित के साथ भौतिकी और रसायन विज्ञान में कम से कम एक परीक्षा का विषय रहा हो; या

(च) किसी विश्वविद्यालय के पांच वर्षीय इंजीनियरी डिग्री पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम वर्ष की परीक्षा पास की हो, लेकिन शर्त यह है कि डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले उसने उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या पूर्व विश्वविद्यालय या समकक्ष परीक्षा प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास की हो।

जिन उम्मीदवारों ने पांच वर्षीय इंजीनियरी डिग्री पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास की हो वे भी आवेदन पत्र भेज सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि प्रथम वर्ष की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा ली गई हो; या

(छ) केरल और कालीकट के विश्वविद्यालयों से गणित के साथ भौतिकी और रसायन विज्ञान में से कम-से-कम एक विषय लेकर पूर्व-स्नातक परीक्षा, प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास की हो।

नोट (I) जिन उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा इंटरमीजिएट या उपर्युक्त किसी अन्य परीक्षा में कोई विशिष्ट श्रेणी न दी गई हो उन्हें भी शैक्षणिक दृष्टि से पात्र समझा जायेगा लेकिन शर्त यह है कि उनके प्राप्तांकों का कुल योग संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रथम या द्वितीय श्रेणी के अंकों की सीमा में हो।

नोट (II) कोई ऐसा उम्मीदवार जो कि ऐसी परीक्षा में बैठ चुका है जिसे पास करने से वह इस परीक्षा में बैठने का पात्र बनता है लेकिन जिसके परीक्षाफल की सूचना उसे नहीं मिली है इस परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र भेज सकता है। यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठना चाहता है तो वह भी आवेदन पत्र दे सकता है। ऐसे उम्मीदवार को यदि वह अन्यथा पात्र हो, तो परीक्षा में प्रवेश मिल जायगा, लेकिन उसके प्रवेश को अनन्तिम समझा जायेगा और यदि वह उस परीक्षा का पास करने का प्रमाण यथासंभव शीघ्र और किसी भी हालत में 20 अगस्त, 1981 तक पेश नहीं करता, तो उस के प्रवेश को रद्द कर दिया जाएगा।

नोट (III) अपवादिक मामलों में, आयोग किसी ऐसे उम्मीदवार को शैक्षणिक दृष्टि से अर्हक मान सकता है जिसके पास इस नियम में निर्धारित अर्हताओं में से कोई भी अर्हता न हो लेकिन ऐसी अर्हताएं हों, जिनके स्तर के बारे में आयोग का यह मत हो कि उनके आधार पर उसे परीक्षा में प्रवेश देना उचित है।

7. उम्मीदवार के लिए आवश्यक होगा कि वह आयोग के नोटिस के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट फीस दे।

8. जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी में आकस्मिक या दैनिक दर कर्मचारी से इतर स्थायी या अस्थायी हैसियत से या कार्य प्रभारित कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे हैं उन्हें यह परिवचन (अंडरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

9. परीक्षा में प्रवेश के लिए कोई उम्मीदवार पात्र है या नहीं, इस संबंध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

10. जब तक किसी उम्मीदवार के पास आयोग से प्राप्त प्रवेश प्रमाण-पत्र नहीं होगा तब तक उसे परीक्षा में नहीं बैठने दिया जायेगा।

11. जो उम्मीदवार आयोग द्वारा निम्नांकित कदाचार का दोषी घोषित होता है या हो चुका है :—

(i) किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी का समर्थन प्राप्त करना; या

(ii) किसी व्यक्ति के स्थान पर स्वयं प्रस्तुत होना; या

(iii) अपने स्थान पर किसी दूसरे को प्रस्तुत करना ; या

(iv) जाली प्रवेश या फेर-बदल किए गए प्रवेश प्रस्तुत करना; या

(v) अशुद्ध या असत्य वक्तव्य देना या महत्वपूर्ण सूचना को छिपाकर रखना; या

(vi) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी अनियमित या अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करना; या

(vii) परीक्षा के समय अनुचित तरीके अपनाए हों; या

(viii) उत्तर पुस्तिका (कों) पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा या अभद्र आशय की हों, या

(ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो; या।

(x) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; या

(ix) उपर्युक्त वाक्यांशों में निर्धारित सभी या कोई भी कृत्य करने का प्रयास करने या उसे अवप्रेरित करने, जैसा भी मामला हो, का दोषी हो या आयोग द्वारा दोषी घोषित किया गया हो तो उसके विरुद्ध आपराधिक अभियोग चलाए जाने के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्रवाई भी की जा सकती है —

(क) आयोग द्वारा उसे उस परीक्षा के लिए जिसका वह उम्मीदवार है, अनर्हक घोषित किया जा सकता है; या

(ख) उसे स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जा सकता है :—

(1) आयोग द्वारा स्व-आयोजित परीक्षा या चयन से,

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी नौकरी से; और

(ग) यदि वह पहले से ही सरकारी नौकरी में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उसके विरुद्ध अनुशासन की कार्रवाई की जा सकती है।

किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक

(i) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और

(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो।

12. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में, उतने न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेते हैं, जितने आयोग स्वविवेक से निर्धारित करे, उन्हें आयोग व्यक्तित्व परीक्षा हेतु साक्षात्कार के लिए बुलायेगा।

किन्तु यदि आयोग की राय में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों को उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के उद्देश्य से सामान्य स्तर के आधार पर पर्याप्त संख्या में साक्षात्कार के लिए बुलाना सम्भव न हो तो आयोग द्वारा उन्हें निर्धारित स्तर में छूट दी जा सकती है।

13. परीक्षा के बाद आयोग हर उम्मीदवार को अंतिम रूप से दिए गए कुल अंकों के अनुसार योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों की एक सूची बनायेगा और उसी क्रम से उन उम्मीदवारों को, जिन्हें आयोग परीक्षा में अर्हक समझे, उतनी अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए सिफारिश की जायेगी जितनी रिक्तियों को परीक्षा परिणाम के आधार पर भरने का निर्णय किया गया हो।

परन्तु अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित जितनी रिक्तियां सामान्य स्तर के आधार पर भरने से रह जाएं, उन्हें भरने के लिए आयोग, सामान्य स्तर को शिथिल करके, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों की सिफारिश कर सकता है भले ही परीक्षा में योग्यताक्रम के अनुसार उनका स्थान कहीं भी हो बशर्ते वे सेवा में नियुक्ति के योग्य हों।

14. प्रत्येक उम्मीदवार का परीक्षाफल किस रूप में और किस ढंग से भेजा जाये, इस बात का निर्णय आयोग स्वविवेक से करेगा और परिणाम के संबंध में आयोग उम्मीदवारों से कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

15. परीक्षा में सफल होने से तब तक नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता तब तक सरकार आवश्यक जांच पड़ताल के बाद इस बात से संतुष्ट न हो जाये कि उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त है।

16. उम्मीदवार के लिये आवश्यक है कि वह मानसिक और शारीरिक दृष्टि से पूर्णतया स्वस्थ हो और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिसके कारण सेवा के अधिकारी के नाते उसके कर्तव्य पालन में बाधा पड़ने की संभावना हो। जो उम्मीदवार ऐसी डाक्टरी परीक्षा के बाद जैसी कि सरकार या नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी जैसी स्थिति हो, विनिर्दिष्ट करे इन आवश्यक बातों को पूरा नहीं करता, उसे नियुक्त नहीं किया जायेगा। केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा ली जायेगी जिनकी नियुक्ति के बारे में विचार होने की संभावना है। डाक्टरी परीक्षा के समय उम्मीदवारों को संबंधित चिकित्सा मंडल को 16 रुपये फीस देनी होगी।

नोट :— उम्मीदवारों को किसी प्रकार की निराशा न हो, इसके लिए उन्हें सलाह दी जाती है कि परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के किसी सरकारी चिकित्सा अधिकारी से परीक्षा करा लें। नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों की किस प्रकार की डाक्टरी परीक्षा होगी और इसमें उनसे किस स्तर की अपेक्षा की जाएगी, इसका ब्यौरा इन नियमों के परिशिष्ट II में दिया गया है। अपाहिज भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों और 1971 के हिन्द पाक युद्ध के दौरान अपाहिज हो जाने के फलस्वरूप मुक्त हुए सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारियों के संबंध में प्रत्येक सेवा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, इन शर्तों में छूट दी जायेगी।

17. कोई भी व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह करने की संविदा की हो, जिसकी एक पत्नी/जिसका एक पति जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने एक पत्नी/पति के रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह करने की संविदा की हो,

सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अन्तर्गत इस प्रकार का विवाह अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य कारण हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

18. इस परीक्षा के माध्यम से चयन किए गए विशेष श्रेणी अप्रेंटिस के लिए अप्रेंटिस की शर्तें परिशिष्ट में दी गई हैं। यांत्रिक इंजीनियरों की भारतीय रेल सेवा से संबंधित संक्षिप्त विवरण भी परिशिष्ट IV में दिये गये हैं।

के० बालाचंद्रन, सचिव, रेलवे बोर्ड

परिशिष्ट I

(देखिए नियम 3)

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार आयोजित की जाएगी :—

भाग I—नीचे दर्शाये गए विषयों में 700 अंकों की लिखित परीक्षा।

भाग II—व्यक्तित्व परीक्षण जिसमें अधिकतम अंक 200 होंगे (देखिये नियम 12)।

2. भाग I के अन्तर्गत लिखित परीक्षा के विषय प्रत्येक विषय प्रश्न-पत्र के लिए निर्धारित समय और अधिकतम अंक निम्नलिखित होंगे :—

क्रम सं०	विषय	निर्धारित समय	अधिकतम अंक
1.	अंग्रेजी	2 घंटे	100
2.	सामान्य विज्ञान	2 घंटे	100
3.	भौतिकी	2 घंटे	100
4.	रसायन विज्ञान	2 घंटे	100
5.	गणित I (बीज गणित, प्रारंभिक विस्तारकलन, त्रिकोणमिति और विश्लेषणात्मक ज्यामिति)	2 घंटे	100
6.	गणित II (कलन, अवकलन तथा समाकल और यांत्रिकी-स्थैतिकी तथा गतिकी)	2 घंटे	100
7.	मनोवैज्ञानिक परीक्षण	1 घंटा	100
		योग	700

3. सभी विषयों के प्रश्न-पत्रों में केवल "वस्तुपरक" प्रश्न होंगे। नमूने के प्रश्नों सहित विवरण के लिए आयोग के नोटिस (अनुबंध II) के साथ लगी उम्मीदवार "सूचना पुस्तिका" देखें।

4. प्रश्न-पत्रों में जहां आवश्यक हो केवल माप व तौल की मीट्रिक प्रणाली से संबद्ध प्रश्न दिए जाएंगे।

5. प्रश्न-पत्र लगभग इंटरमीडिएट स्तर के होंगे।

6. उम्मीदवार उत्तरों को अपने ही हाथ से लिखें। उन्हें किसी भी हालत में उत्तर लिखने के लिए किसी व्यक्ति की सहायता नहीं दी जाएगी।

7. परीक्षा का पाठ्यक्रम सलग्न अनुसूची में दिया गया है।

8. आयोग परीक्षा के किसी एक विषय या सभी विषयों के लिए अर्हक अंक निर्धारित कर सकता है।

अनुसूची

अंग्रेजी—प्रश्न इस प्रकार होंगे जिनसे उम्मीदवार की समझ और भाषा पर अधिकार का पता लग सके।

सामान्य ज्ञान

इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य उम्मीदवार की अपनी चारों ओर के वातावरण और सामाजिक व्यवस्थाओं की सामान्य जानकारी का परीक्षण करना है। प्रश्न के उत्तरों का स्तर उस स्तर का होगा जैसा कि 12वीं कक्षा या समकक्ष स्तर के विद्यार्थियों का होता है।

व्यक्ति और उसका परिवेश

जीवन का विकास, पौधे और पशु, वंशागत और परिवेश आनुवंशिकी प्रकृष्ठि, क्रोमोसोम उत्पत्ति।

मानव शरीर की जानकारी—पोषाहार संतुलित भोजन प्रतिस्थायी खाद्य। महामारियों और सामान्य रोगों की रोकथाम सहित लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता। वातावरणीय प्रदूषण और उसकी रोकथाम खाद्य अपमिश्रण खाद्यान्नों और उनसे निर्मित उत्पादों को सही प्रकार से स्टोर करना तथा परिरक्षण। जनसंख्या विस्फोट जनसंख्या, नियंत्रण खाद्य और कच्चे सामान का उत्पादन। पशुओं तथा पौधों का संप्रजनन, कृत्रिम गर्भाधान खाद और उर्वरक फसल रक्षण उपाय, अधिकतम किस्में और हरित क्रांति भारत के मुख्य अनाज और नकदी फसल।

सौर परिवार और पृथ्वी। ऋतुएं जलवायु, मौसम। भूमि—इसकी रचना और अपरदन। वन तथा उनके उपयोग। प्राकृतिक संकट चक्रवात तूफान बाढ़, भूकम्प (ज्वालामुखी उद्गार) पर्वत और नदियां और भारत में सिंचाई के लिए उनका योगदान। प्राकृतिक साधनों का वितरण और भारत में उद्योग। तेल सहित भूगत खनिजों की खोज। भारत के वनस्पति जात और प्राणिजात के विशेष संदर्भ के साथ प्राकृतिक साधनो विनियम। भारत का इतिहास, राजनीति और सामाज।

वैदिक, महावीर, बुद्ध, मोर्य, शुगआंध्र शुंग, आंध्र गुप्त काल (मौर्य कालीन स्तम्भ, स्तूप कंदराएं, साची मथुरा और गंधर्व विद्यालय मंदिर वास्तुकला, अजंता और एलोरा) इस्लाम के आने के साथ नई शक्तियों की उत्पत्ति और व्यापक संबंधों की स्थापना। सामंत वाद से पूंजीवाद में स्थानान्तरण। यूरोपीय संबंधों की शुरुआत। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना। राष्ट्रीयवाद और स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम।

भारत का संविधान और इसकी महत्वपूर्ण विशेषताए—लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, समानता के अवसर और सरकार की संसदीय प्रणाली प्रमुख राजनीतिक विचारधाराएं—लोकतंत्र, समाजवाद, साम्यवाद और अहिंसा के गांधीवादी विचार। भारतीय राजनीतिकदल, प्रभावशाली गुट, लोकमत और प्रेस, चुनाव प्रणाली।

भारत की विदेश नीति और गुट निरपेक्षता-शस्त्र निर्माण होड़, शक्ति संतुलन। विश्व संगठन—राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पिछले दो वर्षों के दौरान भारत और विदेश में घटित प्रमुख घटनाएं (खेलकूद और सांस्कृतिक मलाप सहित)।

भारतीय सामाजिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं—जाति व्यवस्था में हाल में हुए परिवर्तन और दृष्टिकोण। अल्पसंख्यक सामाजिक संस्थाएं—विवाह, परिवार, धर्म और संस्कृतिक संक्रमण।

श्रम विभाजन, सहकारिता टकराव और प्रतियोगिता सामाजिक नियंत्रण पुरस्कार और सजा कला, कानून, रीतिरिवाज, गलत प्रचार, लोकमत सामाजिक नियंत्रण की एजेंसियां—परिवार, धर्म राज्य, शैक्षिक संस्थाएं सामाजिक परिवर्तन के कारण आर्थिक, प्रौद्योगिकीय जनसांख्यिकीय सांस्कृतिक क्रांति की संकल्पना।

भारत में सामाजिक विघटन

जातिवाद, साम्प्रदायिकता, जनजीवन में भ्रष्टाचार, युवक अशांति भीख मांगना, औषध अपराधवृत्ति और अपराध, गरीबी और बेरोजगारी। सामाजिक योजना और भारतीय सामुदायिक विकास का कल्याण और श्रम कल्याण; अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण।

धन कराधान, मूल्य जनसांख्यिकीय दृष्टिकोण, राष्ट्रीय आय, आर्थिक विकास, निजी और लोक क्षेत्र, योजना में आर्थिक और गैर आर्थिक कारण; संतुलित बनाम असंतुलित विकास, कृषि बनाम औद्योगिक विकास —स्फीति और साधन जुटाने से संबद्ध मूल्य स्थिरीकरण समस्याएं; भारत की पंचवर्षीय योजनाएं।

भौतिकी

वर्नियर, स्क्रूगेज, स्फीरोमीटर और आप्टीकल लीवर का प्रयोग करते हुए लम्बाई की माप।

समय और द्रव्यमान की माप।

सरल रैखिक गति और विस्थापन वेग और त्वरण के बीच संबंध।

न्यूटन के गति के नियम : संवेग, आवेग, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। घर्षण गुणाक

बल क्रिया के अन्तर्गत पिंडों का संतुलन। बल का आघूर्ण : युगवत। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्त। पलायन वेग। गुरुत्व के कारण त्वरण।

द्रव्यमान तथा भार। गुरुत्वकेन्द्र। एकसमान चक्रीय गति। अभिकेन्द्र बल। सरल आवर्त गति। सरल लोलक।

द्रव में दबाव और इसकी विभिन्न गहराई। पास्कल का नियम। आर्कमिडीज का सिद्धान्त। तैरने वाले पिन्ड। परिवेशी दबाव और इसकी माप।

तापमान और इसकी माप। तापीय प्रसार। गैस नियम और परमशून्य ताप। विशिष्ट ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा और उनकी माप। गैसों की विशिष्ट ऊष्मा। ऊष्मा का यांत्रिक समकक्ष। आंतरिक ऊर्जा और ऊष्मागतिकी का पहला नियम। समतापी और रूद्धोष्म परिवर्तन।

ऊष्मा संचरण : तापीय चालकता।

तरंग गति अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंगें। प्रगामी और अप्रगामी तरंगें। गैस मे ध्वनि का वेग और विविध कारणों पर निर्भरता। अनुनाद परिघटना (वायु स्तंभ और रज्जु)।

प्रकाश का परावर्तन और आवर्तन। वक्र दर्पणों और लैंसों द्वारा बिम्ब रचना। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी (दृष्टि दोष)।

प्रिज्म :—विचलन और प्रकीर्णन। न्यूनतम विचलन। दृष्टि स्पेक्ट्रम।

छड़े चुम्बक का क्षेत्र। चुम्बकीय आघूर्ण। भूचुम्बकीय क्षेत्र के तत्व चुम्बकत्वमापी। डाय, पैरा और फैरो चुम्बकत्व।

विद्युत चार्ज, विद्युत क्षेत्र और विभव : कोलम्ब नियम।

विद्युत धारा :— विद्युत सेल, ई० एम० एफ० प्रतिरोध : एमीटर और वोल्टमीटर। ओहम का नियम : श्रेणी और समानान्तर में प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध और चालकता। धारा का तापन प्रभाव।

व्हीटस्टोन ब्रीज, विभवमापी।

धारा का चुम्बकीय प्रभाव : सीधे तार, कुडली और सोलिनायड :— विद्युत चुम्बक : विद्युत घंटी।

चुम्बकीय क्षेत्र में चालक वाली धारा पर बल : चल कुंडलीधारामापी : एमीटर या वोल्टमीटर में परिवर्तन।

धारा के रासायनिक प्रभाव : प्राथमिक और स्टोरेज सेल और उनकी क्रियाविधि विद्युत अपघटन, के नियम।

विद्युतचुम्बकीय प्रेरणा, सरल ए० सी० तथा डी० सी० जनित्र। ट्रांसफार्मर, अपघटन कुंडली।

कैथोड किरणों, इलेक्ट्रान की खोज, परमाणु का बोहर माडल। डायोड और परिशोधक के रूप में इसके उपयोग।

ऐक्स किरणों का उत्पादन, गुण और उपयोग।

विघटनाभिकता :—ऐल्फा, बीटा और गामा किरणें।

नाभिकीय ऊर्जा, विखंडन और संलयन : द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन शृंखला अभिक्रिया।

रसायन विज्ञान

भौतिक रसायन विज्ञान

1. परमाणु संरचना, संक्षेप में पूर्व माडल। त्रिविम माडल के रूप में परमाणु। कक्षीय परिसंकल्पना। क्वान्टम, संख्या और उनकी विशेषता; केवल प्रारम्भिक। अभिक्रिया। पाली का अपवर्जन सिद्धान्त। इलैक्ट्रानिक विन्यास। आफबु सिद्धान्त एस० पी० डी० और एफ० ब्लाक तत्व।

आवर्ती वर्गीकरण—केवल दीर्घ रूप। आवर्त और इलेक्ट्रानिक विन्यास परमाणु अनुपात। आवर्तक और ग्रुपों में विद्युत नकारात्मकता।

2. रासायनिक आबन्धन, इलेक्ट्रोलेंट, कोवलेंट, कोर्डिनेट, कोवलैंट बन्धन। जी० तथा एक्स० बन्धनों के बन्धन गुण, जल, हाइड्रोजन, सलफाईड, मिथेन और अमोनियम क्लोराइड जैसे सरल अणुओं के आकार। मोलेक्यूलर सम्बन्ध तथा हाइड्रोजन आबंधन।

3. रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन ऊष्मा उन्मोची और उष्माशोषी। अभिक्रिया। उष्मागतिकी के प्रथम नियम का प्रयोग। स्थिर ऊष्मा संकलन का हैस का नियम।

4. रासायनिक सन्तुलन और अभिक्रिया की दरें। द्रव्यमान क्रिया का नियम। दबाव के प्रभाव। तापमान और अभिक्रिया दर पर केन्द्रीयकरण (ला चेटलियर के सिद्धान्त पर आधारित गुणात्मक अभिक्रिया) प्राणविकता प्रथम तथा द्वितीय क्रम अभिक्रियायें। संक्रिमण की ऊर्जा परिकल्पना। अमोनिया और सलफर ट्राइआक्साइड के निर्माण के लिए प्रयोग।

5. विलयन : वास्तविक विलयन, कोलोइडल विलयन और स्थगन। तन विलयनों के अनुसंख्य गुणधर्म और विलान पदार्थों के अणुभार निश्चित करना। क्वाली बिन्दुओं का उन्नैयन। हिमांक अवसादन। आस्मेट दबाव। राल्ट का नियम (केवल अनुष्मागतिकी अभिक्रिया)।

6. विद्युत रासायन विज्ञान :—विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघटन का फैराडे नियम। आयनी सन्तुलन। घुलशीलता उत्पाद। प्रबल तथा क्षीण अपघट्य। अम्ल तथा बैस (लेविस तथा ब्रोनस्टीड की परिकल्पना) पी० एच० तथा उभय प्रतिरोधी विलयन।

7. आक्सीकरण-अपचयन :—आधुनिकी इलैक्ट्रानिकी परिकल्पना और आक्सीकरण अंक।

8. प्राकृतिक और कृत्रिम विघटनाभिकता :—नाभिकीय विखंडन और संलयन। विघटनाभिक समस्थानिकों के उपयोग।

अकार्बनिक रसायन विज्ञान

तत्वों की संक्षिप्त अभिक्रिया और उनके प्रौद्योगिकीय महत्वपूर्ण मिश्रण।

1. हाइड्रोजन : आवर्त तालिका में स्थिति। हाइड्रोजन की समस्थानिक मूणात्मक तथा धनात्मक विद्युती। जल, कटोर तथा मृदुल जल; उद्योगों में जल का उपयोग। भारी पानी और इसके उपयोग।

2. ग्रुप I तत्व 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड का विनिर्माण। सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड।

3. ग्रुप II तत्व। आशु तथा बुझा हुआ चना। जिप्सम प्लास्टर आफ पेरिस। मैगनीशियम सल्फेट और मैगनीशिया।

4. ग्रुप III तत्व। बोरक्स, एलुमिया और एलम।

5. ग्रुप IV तत्व। कोयला, लकड़ी तथा ठोस ईंधन। सिलिकेट, जोलिटिस तथा अर्द्धसुचालक। शीशा, (प्रारम्भिक अभिक्रिया)।

6. ग्रुप V तत्व। अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल का विनिर्माण। मौल फास्फेट और निरापद दियासलाई।

7. ग्रुप VI तत्व। हाइड्रोजन पर आक्साइड, गन्धक, सल्फ्यूरिक अम्ल की ऊपरूपता? गन्धक के आक्साइड।

8. ग्रुप VII तत्व। क्लोरिन क्लोरिन का विनिर्माण तथा उपयोग। ब्रोमीन और आयोडीन। हाइड्रोक्साइड अम्ल। ब्लीचिंग पाउडर।

9. ग्रुप (उत्कृष्ट गैस) हीलियम और इसके उपयोग।

10. धातुकर्मीय संसाधन :—तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी सोना, जस्त तथा सीसे के विशिष्ट संदर्भ के साथ धातुओं को निकालने की सामान्य पद्धतियां। इन धातुओं की सर्वनिष्ठ मिश्रधातु; निकिल मैगनीज, इस्पात।

कार्बनक रसायन विज्ञान

1. कार्बन का टेट्राहेड्रल स्वरूप। संकरण और जी०एन० बन्धन तथा उनकी सापेक्षिक शक्ति। एकल तथा बहु बन्धन। अणु का आकार। ज्यामितीय तथा प्रकाशीय समावयवता।

2. एलकेन, एलकीन और एल्किलीन के तैयार करने के गुणधर्मों और अभिक्रियाओं की सामान्य पद्धतियां। पट्रोलियम और इसकी परिष्करण ईंधन के रूप में इसके उपयोग।

एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन :—

अनुनाद और एरोमटिकता। बैंजीन तथा नैफ्थालीन और उनके सादृश्य एरोमैटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियायें।

3. हैलोजीन व्युत्पतियां; क्लोरोफार्म कार्बन, टेट्राक्लोराइड, क्लोरोबैनजीन—डी० डी० टी० और गैमक्सीन।

4. हाइड्रोक्सी मिश्रण : प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक एल्कोहल मिथानाल, एथानाल, गलोसरोल और फिनोल के तैयार करने, गुणधर्म उपयोग। एलिफैटिक कार्बन अणु पर प्रतिस्थापन अभिक्रियाये।

5. अथर : डाइथाइल इथर।

6. इलडीहाइडस और कैटान्स : फार्मलडीहाइड। एसीटैलीडीहाइड। बेजलडीहाइड, एसीटोन, एसीटोफीनाल।

7. नाइट्रो योगिक एमीन : नाइट्रोबेनजीन : टी० एन० टी०। एनीलीन डाइजोनियम योगिक। एजोडाइज।

8. कार्बोक्सीलिक अम्ल : फोर्मीक, एसीटीक बैनजोइक और सेलीसिलिक अम्ल, एसीटाइल सेलीसिलिक अम्ल।

9. एस्टर : इथाइलएसीटट, मिथाइल सेलीसिलेटस, इथाइल बेनजोर।

10. पालीमर्स : पोलीथीन, टेजलान, पर्सपेक्स, कृत्रिम रबड़, नायलन और पोलिस्टर तन्तु।

11. कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और लिपीडस, एमीनो अम्ल और प्रोटीन विटामिन और हॉर्मोन्स की असंरचनात्मक अभिक्रिया।

गणित

बीजगणित

अंक प्रणाली—वास्तविक अंक। पूर्णांक। परिमेय और अपरिमेय तथा उनके प्रारम्भिक गुणधर्म।

प्रारम्भिक अंक सिद्धांत —विभाजन, इलगोरिथ्म विधि। अभाज्य और संयुक्त संख्यायें गुणित तथा गुणनखण्ड। गुणनखंड प्रमेय। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। यूक्लाडोन ऐल्गोरिथ्म।

लघगणक और उनका प्रयोग।

आधारी संक्रिया : सरल गुणनखंडन । बहुपदों का महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्त्य । द्विघाती समीकरणों का हल, इसके मूल और गुणांक में सम्बन्ध ।

घातांक एल्गोरिथम

सूचकों के नियम, ए० पी० और जी० टी० ज्यामितीय श्रेणियों और इसका आवर्ती दशमलव भिन्न में प्रयोग ।

क्रमचय और संयोजन ? धनात्मक पूर्णांक सूचक के लिये द्विपद परिमेय । सन्निकटन के लिये परिमेय सूचकों के लिये द्विपद प्रमेय का प्रयोग ।

युगपत रैखिक समीकरण (तीन अज्ञात संख्यको तक) और उनका हल । एक्स 1 एक्स 2 और एक्स 3 पर बाई के दिये हुए मूल्यों के लिये द्विघाती वक्र बाई=ए० बी० एक्स० सी० एक्स 2 का संयोजन ।

युगपत रैखिक असमिका (दो अज्ञात संख्याओं में) और उनका ग्राफ । 2×2 मैट्रोसिज और प्रारम्भिक संक्रिया । तत्समक आव्यूह । 3 से अधिक क्रम का आव्यूह निश्चयन का विपर्यय ।

प्रारम्भिक विस्तार कलन

समकल आकृति का क्षेत्रफल । घनों पिरामिडों, लम्बवृत्तीय बेलनों के आयतन और धरातल—शंकु और गोलक ।

(उपर्युक्त अध्यायों से सम्बद्ध व्यावहारिक प्रश्न पूछे जायेंगे और आवश्यकतानुसार यथोचित सूत्र दिये जायेंगे ।)

त्रिकोणमिति

कोण और उनकी कोटियों और रेडियन में माप । त्रिकोणमितीय अनुपात । योग के सूत्र । कोणों के अपवर्त्यों और अपवर्तकों के साइन, कोसाइन और टेनजेंट । साइन कोसाइन और टेंजेंट का आवर्तिता और ग्राफ । सरल त्रिकोणमितीय समीकरणों का हल ।

ऊंचाई और दूरी के सरल प्रश्न ।

विश्लेषिक ज्यामिति

समतल में रेखा की समीकरण । प्रथम कोटि की सामान्य समीकरण । दो रेखाओं के बीच कोण । समान्तर और लम्बीय रेखायें ।

दो सीधी रेखाओं की कार्टिशियन समीकरण ।

वृत्त का समीकरण । सामान्य समीकरण । वृत्त के स्पर्शी और सामान्य समीकरण । दो वृत्तों के मूलाक्ष । वृत्त-कुल ।

परवलय, दीर्घवृत्त और अतिपरवलय का मानक । समीकरण । वक्र पर किसी बिन्दू पर स्पर्शी और सामान्य समीकरण ।

(जहां आयोग उचित समझेगा उम्मीदवारों को 4 स्थान तक लोगरिथमिक तालिकाओं के प्रयोग की अनुमति दी जा सकती है) ।

गणित II

कलन (अवकल और पूर्णांक)

उदाहरणों द्वारा वास्तविक फलन और उनके ग्राफ । संयुक्त और व्युत्क्रम फलन वास्तविक फलनों का बीजगणित । परिमेय और त्रिकोणमितिय फलनों के उदाहरण और फल-फलन ।

सीमा धारणा और फलन और योगस्तर का सांतत्य फलनों की उत्पत्ति और योगफल ।

किसी बिन्दु पर फलन का व्युत्पन्न । परिवर्तन की तत्क्षिणग दर के रूप से व्युत्पन्न और वक्र की ढाल ।

फलनों के योग, अन्तर, गुणनफल और भागफल की व्युत्पत्तियां । संयुक्त फलनों और 11 फलनों के व्युत्क्रम की व्युत्पत्तियां । बहुपद फलनों, परिमेय फलनों, अपवर्तक फलनो, त्रिकोणमितीय फलनों और व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलनों की व्युत्पत्तियां ।

फलनों का आद्य और अनिश्चित पूर्णांक ।

सरल मामलों में आद्य की परिगणन—(सरल) प्रतिस्थापन द्वारा और अंशतः समेकन ।

यांत्रिकी (संदिज पद्धतियों की अनुमति होगी) ।

स्थितिकी: बल का निरूपण, बल समांतर चतुर्भुज । बल का संयोजन और विभेदन । समदिश और विपरीत बल । आघूर्ण बल युग्म । संतुलन के प्रतिबन्धसंगामी बल और समतलीय बल (4 अधिक नहीं) ।
बल त्रिभुज ।

सरल पिंडों का गुरुत्व केन्द्र ।

कार्य और शक्ति । सरल यंत्र (लीवर, चिरमी, तत्व, गियर) ।

गतिकी : कण का विस्थापन, गति, वेग और त्वरण । सतत त्वरण के अन्तर्गत सीधी रेखा में गति । प्रक्षपी से सम्बद्ध सरल प्रश्न । एक रस्सी से बन्धे दो द्रव्यमानों की गति । उर्जा विनियम ।

जहां आयोग उचित समझेगा उम्मीदवारों को 4 स्थान तक लाग की प्रयोग की अनुमति दी जा सकती है ।)

मनोवैज्ञानिक परीक्षण : प्रश्न इस प्रकार होंगे जिनसे उम्मीदवारों की बुनियादी जानकारी और यांत्रिक अभिरुचि का मूल्यांकन हो सके ।
व्यक्तिगत परीक्षण

प्रत्येक उम्मीदवार का एक ऐसे बोर्ड द्वारा साक्षात्कार किया जायेगा जिसके सामने उम्मीदवार के शैक्षिक तथा शाखाबाह्य दोनों प्रकार के जीवन वृत का अभिलेख होगा । उनसे सामान्य हित के मामलों से सम्बद्ध प्रश्न पूछे जायेंगे । उनके नेतृत्व, पहलशक्ति और बौद्धिक उत्सुता, व्यवहार कुशलता और अन्य सामाजिक गुणों, मानसिक और शारीरिक शक्ति, व्यावहारिक प्रयोग की शक्ति और चरित्र की सत्यानष्ठिा के गणों का मूल्यांकन करने के लिये विशेष ध्यान दिया जायेगा ।

परिशिष्ट II

यांत्रिक इंजीनियरों की भारतीय रेल सेवा में नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के लिये विनियम

ये विनियम उम्मीदवारो की सुविधा और उनके अपेक्षित शारीरिक स्तर की संभाव्यता को सुनिश्चित करने के लिये प्रकाशित किये जाते हैं । विनियमों का उद्देश्य स्वास्थ्य परीक्षको और उन उम्मीदवारों का मार्ग दर्शन भी करना है जो विनियमो में निर्धारित न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते और जिन्हे स्वास्थ्य परीक्षकों द्वारा योग्य घोषित नहीं किया जा सकता है । किन्तु यदि कोई उम्मीदवार इन विनियमों में दिये गये नियमों के अनुसार योग्य नही है तो भी चिकित्सा बोर्ड को भारत सरकार को उसकी अनुशंसा करने का अधिकार होगा जिसके लिये बोर्ड इस आशय के लिखित कारणों का उल्लेख करेगा कि अमुक उम्मीदवार सरकार की हानि के बिना सेवा में भर्ती किया जा सकता है ।

यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये कि भारत सरकार की चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद किसी भी उमीदवार को अस्वीकृत या स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

1. नियुक्ति के लिये स्वस्थ ठहराये जाने के लिये यह जरूरी है कि उम्मीदवारों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिसके नियुक्ति के साथ वक्षता पूर्वक काम करने में बाधा पड़ने की संभावना हो ।

2. (क) भारतीय (एंग्लो इंडियन सहित) जाति के उम्मीदवारों की आयु वण्ड और छाती के घेरे के परस्पर सम्बन्ध के बारे में मैडिकल बोर्ड के ऊपर यह बात छोड़ दी गई है कि यह उम्मीदवारों की परीक्षा में मार्ग दर्शन के रूप में जो भी परस्पर सम्बन्ध के आंकड़े सबसे अधिक उपयुक्त समझें, व्यवहार में लायें । यदि वजन, कद और छाती के घेरे में विषमता हो तो जांच के लिये उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिये और उसकी छाती का एक्स-रे लेना चाहिये । ऐसा करने के बाद ही कोई बोर्ड उम्मीदवार को स्वस्थ अथवा अस्वस्थ घोषित करेगा ।

(ख) किन्तु कद और छाती के घेरे के लिये कम से कम मानक निम्नलिखित है, जिस पर पूरा न उतरने पर उम्मीदवार को स्वीकार नहीं किया जा सकता :—

	कद	छाती का घेर फैलाव (पूरा फैला कर)	
	सें० मी०	से मी०	सें० मी०
पुरुष उम्मीदवारों के लिये	152	84	5
महिला उम्मीदवारों के लिये	150	79	5

अनुसूचित जन जातियों तथा उन जातियों जैसे गोरखाओं, गढ़वालियों, असमियों, नागालैंड के आदिवासियों आदि, जिनका औसत कद स्पष्टतः ही कम होता है के मामले में भी निर्धारित न्यूनतम कद कम से कम कद में छूट दी जा सकती है ।

3. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि में मापा जायेगा ।

वह अपने जूते उतार देगा और उसे माप दण्ड (स्टैंडर्ड) से इस प्रकार सटा कर खड़ा किया जायेगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहें और उसका वजन सिवाय एड़ियों के पांवों के अंगूठों या किसी और हिस्से पर न पड़े। वह बिना अकड़े सीधा खड़ा होगा और उसकी एड़ियां, पिंडलियां, निम्ब और कन्धे मापदण्ड के साथ लगे होंगे । उसकी ठोड़ी नीची रखी जायेगी ताकि सिर का स्तर (वर्टेक्स आफ दी हैड लेवल) हारिजेंटल बार (आड़ी छड़) के नीचे जायें । कद सेंटीमीटरों और आधे सेंटीमीटरों में मापा जायेगा ।

4. उम्मीदवार की छाती मापने का तरीका इस प्रकार है :—

उसे इस भांति खड़ा किया जायेगा कि उसके पांव जुड़े हों और उसकी भुजाएं गिर से ऊपर उठी हों । फीते को छाती के गिर्द इस तरह लगाया जायेगा कि उसका ऊपरी किनारा असफलक (शोल्डर ब्लैड) के निम्न कोणों (इन्फीरियर-एंगिल्स) के पीछे रहे और यह फीते की छाती के गिर्द ले जाने पर (आड़े समतल उसी हारिजेंटल प्लेन) में रहे । फिर भुजाओं को नीचे किया जायेगा और उन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जायेगा किन्तु इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि कन्धे ऊपर या पीछे की ओर न किये जाएं ताकि फीता अपने स्थान से हट न जाये । तब उम्मीदवार को कई बार गहरी सांस लेने के लिये कहा जायेगा तथा छाती के अधिक से अधिक फैलाव पर सावधानी से ध्यान दिया जायेगा और कम से कम अधिक से अधिक फैलाव सेंटीमीटरों में रिकार्ड किया जायेगा । जैसे 84-89, 86-93 आदि । माप रिकार्ड करते समय आधे सेंटीमीटर से कम भिन्न (फ्रक्शन) को नोट नहीं करना चाहिये ।

ध्यान दें :—अन्तिम निर्णय से पूर्व उम्मीदवार का कद और छाती दो बार मापे जाने चाहियें ।

5. उम्मीदवार का वजन किया जायेगा और वह किलोग्राम में होगा । आधा किलोग्राम या उसका अंश नोट नहीं करना चाहिये ।

6. उम्मीदवार की वजन की जांच निम्नलिखित नियमों के अनुसार की जायेगी । प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया जायेगा :—

(i) सामान्य (जनरल) :—किसी रोग या असामान्यता (एबनार्मेलिटी) का पता लगाने के लिये उम्मीदवार की आंखों की सामान्य परीक्षा की जायेगी । यदि उम्मीदवार की आंखों, पलकों अथवा साथ लगी संरचनाओं (कान्टिगुअस स्ट्रक्चर्स) का कोई ऐसा रोग हो जो उसे अब या आगे किसी समय सेवा के लिये अयोग्य बना सकता हो तो उसको अस्वीकृत कर दिया जायेगा ।

(ii) दृष्टि तीक्ष्णता (विजुअल एक्यूईटी) :—दृष्टि की तीव्रता का निर्धारण करने के लिये दो तरह की जांच की जायेगी । एक दूर की नजर के लिये और दूसरी नजदीक की नजर के लिये । प्रत्येक आंख की अलग-अलग परीक्षा की जायेगी ।

चश्मे के बिना आंख की नजर (नेकड आई विजन) की कोई न्यूनतम सीमा (मिनिमम लिमिट) नहीं होगी, किन्तु प्रत्येक मामले में मेडिकल बोर्ड या अन्य मेडिकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जायेगा क्योंकि इससे आंख की हालत के बारे में मूल-सूचना (बेसिक इन्फारमेशन) मिल जायेगी ।

उम्मीदवार की उपकरण से परीक्षा की जायेगी और उसकी दृष्टि सुतीक्ष्णता रेल बोर्ड की चिकित्सा अधिकारियों की स्थाई सलाहकार समिति द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार की जायेगी ।

ध्यान दें : —नीचे निर्धारित अपेक्षाओं के स्तर को, जो उम्मीदवार पूरा नहीं करेंगे, उन्हें नियुक्ति हेतु स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

चश्मे के साथ और चश्मे के बिना दृष्टि सुतीक्ष्णता का मानक निम्नलिखित होगा ।

	दूर की दृष्टि		निकट की दृष्टि	
	अच्छी आंख	खराब आंख	अच्छी आंख	खराब आंख
35 वर्ष से कम आयु वाले उम्मीदवारों के लिये	6/6 अथवा 6/9	6/12 अथवा 6/9	जे० I	जे० I

नोट (1)

(क) मायोपिया (सिलेंडर सहित) कुल—400 जी० से अधिक नहीं होना चाहिये ।

(ख) हाइपरमेट्रोपिया (सिलेंडर सहित) कुल + 4·00 डी० अधिक नहीं होना चाहिये ।

(ग) मायोपिया फंडस के प्रत्येक मामले में परीक्षा की जानी चाहिये, और उसका परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिये । यदि उम्मीदवार की ऐसी रोगात्मक दशा हो, जो कि बढ़ सकती है, और उम्मीदवार की कार्य कुशलता पर प्रभाव डाल सकती है, तो उसे अयोग्य घोषित किया जाये ।

नोट (2)

कलर विजन :

कलर विजन की जांच जरूरी है और समस्त उम्मीदवारों के सम्बन्ध में परिणाम सामान्य होना चाहिये लाल संकेत, हरे संकेत और सफेद रंग की आसानी से और हिचकिचाहट के बिना पहचान कर लेना संतोषजनक कलर विजन है । कलर विजन जांच के लिये इशिहरा की प्लेटों और एडिंज ग्रीन जैसी दोनों लैंटर्न का प्रयोग होगा ।

नीचे दी गई तालिका के अनुसार रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान उच्चतर (हायर) और निम्नतर (लोअर) ग्रेडों में होना चाहिये तो लैंटर्न में एपर्चर के आकार पर निर्भर होगा ।

ग्रेड	रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का उच्चतर ग्रेड	रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का निम्नतर ग्रेड
1. लैम्प और उम्मीदवार के बीच की दूरी	16 फीट	16 फीट
2. द्वारक (एपर्चर) का आकार	1·3 मि० मीटर	13 मि० मीटर
3. उद्भासन काल	5 सेकेंड	5 सेकेंड

स्पेशल क्लास अप्रेंटिसेज के लिये रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का उच्चतर ग्रेड आवश्यक है ।

नोट (3)

दृष्टि क्षेत्र (फील्ड आफ विजन) :—सभी सेवाओं के लिये सम्मुखन विधि कन्फ्रन्टेशन मैथड द्वारा यूनिट दृष्टि क्षेत्र की जांच की जायेगी। जब ऐसी जांच का नतीजा असन्तोषजनक या संदिग्ध हो तब दृष्टि क्षेत्र की परिमापी (पैरोमीटर) पर निर्धारित किया जाना चाहिये।

नोट (4)

रतौंधी (नाइट ब्लाइन्डनेस) :—केवल विशेष मामलों को छोड़कर रतौंधी की जांच नेमी रूप से जरूरी है। रतौंधी में दिखाई न देने की जांच करने के लिये कई स्टैंडर्ड टैस्ट निश्चित नहीं है। मेडिकल बोर्ड को ही ऐसे काम चलाऊ टैस्ट कर लेने चाहिये जैसे रोशनी कम करके या उम्मीदवार को अन्धेरे कमरे में लाकर 20 से 30 मिनट के बाद उससे विविध चीज की पहचान करवा कर दृष्टि तीक्ष्णता रिकार्ड करना उम्मीदवारों के कहने पर ही हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिये किन्तु उन पर उचित विचार किया जाना चाहिये।

नोट (5)

दृष्टि की तीक्ष्णता से भिन्न आंख की दशा (आक्यूलर कंडीशन्स)

(क) आंख की अंग सम्बन्धी बीमारी को या बढ़ती हुई अपवर्तन त्रुटि (रिफैक्टिव एरर), जिसके परिणाम स्वरूप दृष्टि की तीक्ष्णता कम होने की संभावना हो, अयोग्यता कारण समझा जाना चाहिये।

(ख) भैंगापन :—जहां दोनों आंखों की दृष्टि का होना जरूरी है भैंगापन अयोग्यता माना जायेगा चाहे दृष्टि की तीक्ष्णता निर्धारित स्तर की ही क्यों न हो।

(ग) एक आंख वाला व्यक्ति :—एक आंख वाला व्यक्ति नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

नोट (6)

कान्टेक्ट लेंस :—चिकित्सा परीक्षा के दौरान उम्मीदवार को कान्टेक्ट लेन्स प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। यह आवश्यक है कि आंख का परीक्षण करते समय दूर की दृष्टि के लिये टाइप अक्षरों की प्रदीप्ति 15 फुट कैन्डिल की प्रदीप्ति जैसी हो। विशेष परिस्थितियों में किसी उम्मीदवार के सम्बन्ध में किसी भी शर्त को शिथिल करने की छूट सरकार को है।

7. रक्त दाब (ब्लड प्रैशर) :—

ब्लड प्रैशर के सम्बन्ध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा। नार्मल मेक्जीमम सिस्टालिक प्रैशर के आकलन की काम चलाऊ विधि निम्न प्रकार है :—

(i) 15 से 25 वर्ष की युवा व्यक्तियों में औसत ब्लड प्रैशर लगभग 100+ आयु होता है।

(ii) 25 वर्ष से ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों में ब्लड प्रैशर के आकलन में 110+ आधी आयु का सामान्य नियम बिल्कुल सन्तोषजनक दिखाई पड़ता है।

ध्यान दें :—सामान्य नियम के रूप में 140 एम० एम० के ऊपर सिस्टालिक प्रैशर और 90 एम० एम० के ऊपर डायस्टालिक प्रैशर को संदिग्ध मान लेना चाहिए और उम्मीदवार को अयोग्य या योग्य ठहराने के संबंध में अपनी अंतिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखें। अस्पताल में रखने की रिपोर्ट से यह पता लगाना चाहिए कि घबराहट (एक्साइटमैंट) आदि के कारण ब्लड प्रेशर थोड़े समय रहने वाला है या इसका कारण कोई कायिक (औरगानिक) बीमारी है। ऐसे सभी मामलों में हृदय का एक्सरे और इलैक्ट्रोकार्डियोग्राफी जांच और रक्त यूरिया निकाय (क्लियरेंस) की जांच की भी नेमी तौर पर की जानी चाहिए। फिर भी उम्मीदवार के योग्य होना या न होने के बारे में अन्तिम फैसला केवल मैडिकल बोर्ड ही करेगा।

ब्लड प्रेशर (रक्त दाब) लेने का तरीका :—

नियमतः पारे वाले दाब मापों (मर्करी मैनोमीटर किस्म का उपकरण (इंस्ट्रूमेंट) इस्तेमाल करना चाहिए। किसी किस्म के व्यायाम या घबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए। रोगी बैठा या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेषकर उसकी बांह शिथिल और आराम में हो। बांह थोड़ी बहुत होरिजेंटल स्थिति में रोगी के पार्श्व पर ही तथा उसके कन्धे से कपड़ा उतार देने चाहिए। कफ में से पूरी तरह हवा निकाल कर बीच की रबड़ को भुजा के अन्दर की ओर रखकर और उसके निचले किनारे को कोहनी के मोड़ से एक या दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिए। इसके बाद कपड़े की पट्टी को फैलाकर समान रूप से लपेटना चाहिए ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फूल कर बाहर को न निकले।

कोहनी के मोड़ पर बाहु धमनी (ब्रेकियल आर्टरी) को दबा-दबा कर ढूंढा जाता है और तब इसके ऊपर बीचों बीच स्टेटेथस्कोप को हल्के से लगाया जाता है जो कफ के साथ न लगे। कफ में लगभग 200 एम० एम० एच जी० हवा भरी रहनी है और इसके बाद इसमें से धीरे-धीरे हवा निकाली जाती है। हल्की क्रमिक ध्वनियां सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पारे का कालम टिका होता है वह सिस्टालिक प्रेशर दर्शाता है, जब और हवा निकाली जाएगी तो और तेज ध्वनियां सुनाई पड़ेंगी। जिस स्तर पर ये साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की दबी हुई सी लुप प्रायः हो जाए यह डायस्टालिक प्रेशर है। ब्लड प्रेशर काफी थोड़ी अवधि में ही ले लेना चाहिए क्योंकि कफ के लम्बे समय का दबाव रोगी के लिए क्षोभकारी होता है और इससे रीडिंग गलत होता है। यदि दोबारा पड़ताल करनी जरूरी हो तो कफ में से पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट के बाद ही ऐसा किया जाए। (कभी-कभी कफ में से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं; दाब गिरने पर ये गायब हो जाती हैं तथा निम्न स्तर पर पुनः प्रकट हो जाती हैं। इस "साइलेंट गेप" से रीडिंग में गल्ती हो सकती है)।

8. परीक्षक की उपस्थिति में किये गये मूत्र की ही परीक्षा की जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए। जब मेडिकल बोर्ड को किसी उम्मीदवार के पक्ष में रासायनिक जांच द्वारा शक्कर का पता चले तो बोर्ड इसके सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधुमेह (डायबिटीज) के द्योतक चिह्न और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा। यदि बोर्ड उम्मीदवार को ग्लूकोज मेह (ग्लाइकोसूरिया) के सिवाय, अपेक्षित मैडिकल फिटनेस के स्टैंडर्ड के अनुरूप पाए तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ फिटनेस घोषित कर सकता है कि ग्लूकोज मेह अमधुमही (नान डायबेटिक) है और बोर्ड इस केस को मेडिसन के किसी ऐसे निर्दिष्ट विशेषज्ञ के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला की सुविधायें हों। मेडिकल विशेषज्ञ स्टैंडर्ड ब्लड शुगर टालरेंस टैस्ट समेत जो भी क्लिनिकल या लेबोरेटरी परीक्षाएं जरूरी समझेगा, करेगा और अपनी रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज देगा जिस पर मेडिकल बोर्ड की "फिट" "अनफिट" की अंतिम राय आधारित होगी। दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिये बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा। औषधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिये यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिन तक अस्पताल में पूरी देखरेख में रखा जाए।

9. यदि जांच के परिणाम कोई महिला उम्मीदवार 12 हफ्ते या उससे अधिक समय की गर्भवती पाई जाती है तो उसको अस्थाई रूप से तब तक अस्वस्थ घोषित किया जाना चाहिए जब तक कि उसका प्रसव पूरा न हो जाए। किसी रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी का स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, प्रसूति की तारीख के 6 हफ्ते बाद आरोग्य प्रमाण-पत्र के लिए उसकी फिर से स्वास्थ्य समीक्षा की जानी चाहिए।

10. निम्नलिखित अतिरिक्त बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए :

(क) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है और उसके कान में बीमारी का कोई चिह्न नहीं है। यदि कोई कान की खराबी हो तो उसकी परीक्षा कान-विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए। यदि सुनने

की खराबी का इलाज शल्य क्रिया (आपरेशन) का हिरिंग ऐड के इस्तेमाल से हो सके तो उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता बशर्ते कि कान की बीमारी बढ़ाने वाली न हो यह उपबंध भारतीय रेल भंडार सेवा के अलावा अन्य रेल सेवाओं, सेना इंजीनियरी सेवा, तार इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क' तार यातायात सेवा ग्रुप 'ख' केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क' और केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी सेवा ग्रुप पर लागू नहीं है । चिकित्सा परीक्षा प्राधिकारी के मार्ग दर्शन के लिए इस संबंध में निम्नलिखित मार्ग दर्शक जानकारी दी जाती है ।

(i) एक कान में प्रकट अथवा पूर्ण बहरापन, दूसरा कान सामान्य होगा ।	स्पेशल क्लास अप्रेंटिसेज पदों पर नियुक्ति के लिए अयोग्य ।
(ii) दोनों कानों में बहरापन का प्रत्यक्ष बोध, जिनमें श्रवण यंत्र (हिरिंग एड) द्वारा कुछ सुधार संभव हो ।	स्पैशल क्लास अप्रेंटिसेज पदों पर नियुक्ति के लिए अयोग्य ।
(iii) सैन्ट्रल अथवा मार्जिनल टाइप के टिमपैनिक मेम्बन का छिद्र ।	कर्ण पटह का कोई छिद्र ठीक न हो तो आयोग्य किन्तु विक्षत घाव का निशान अयोग्यता का कारण नहीं माना जाएगा ।
(iv) कान के एक ओर दोनों ओर से मस्टाइट कैविटी से सबनार्मल श्रवण ।	स्पेशल क्लास अप्रेंटिसेज के पदों के लिए अयोग्य ।
(v) बहते रहने वाला कान आपरेशन किया गया बिना आपरेशन किया गया	तकनीकी और गैर तकनीकी पदों के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य ।
(v) बासापुट, की हड्डी संबंधी विषमताओं (बोनी डिफोर्मिटी सहित अथवा उससे रहित नाक की जीर्ण प्रदाहक/अलजिक दशा ।	(i) प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा ।
	(ii) यदि लक्षणों सहित नासापुट अफसरण विद्यमान हो तो अस्थायी रूप से अयोग्य ।
(vii) टांसिल्स और/अथवा स्वर यंत्र (लेरिकस) की जीर्ण प्रदाहक दशा ।	(i) टांसिल और/अथवा स्वर यंत्र की जीर्ण प्रदाहक दशा-योग्य ।
	(ii) यदि आवाज में अत्यधिक कर्कशता विद्यमान हो तो अस्थायी रूप से अयोग्य ।
(viii) कान/नाक/गले (ई० एन० टी०) के हल्के अथवा अपने स्थान पर दुर्दभ ट्यूमर ।	(i) हल्का ट्यमर अस्थायी स्थायी रूप से अयोग्य ।
	(ii) दुर्दभ ट्यूमर अयोग्य श्रवण यंत्र की सहायता से या आपरेशन के बाद 30 डेसीबल श्रवणता के अन्दर होने पर योग्य ।
(ix) आस्टोकिलरोसिस	स्पेशल क्लास अप्रेंटिसेज के लिए अयोग्य ।
(x) कान, नाक अथवा गले के जन्मजात दोष	(i) यदि काम-काज में बाधक न हो तो योग्य ।
	(ii) भारी मात्रा में हकलाहट हो तो अयोग्य ।
(क) नेजल पोली	अस्थायी रूप में अयोग्य ।

(ख) उम्मीदवार बोलने में हकलाता/हकलाती नहीं हो ।

(ग) उसके दांत अच्छी हालत में हैं या नहीं और अच्छी तरह चबाने के लिए जरूरी होने पर नकली दांत लगे है या नहीं । (अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जाएगा) ।

(घ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती काफी फैलती है या नहीं तथा उसका दिल या फेफड़े ठीक हैं या नही ।

(ङ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नहीं ।

(च) उसे रपचर है या नहीं ।

(छ) उसे हाईड्रोसील, बढ़ी हुई बेरिकोसिल, बेरिकाजशिरा (बेन) या बवासीर है या नहीं ।

(ज) उसके अंगों, हाथों और पैरों की बनावट और विकास अच्छी है या नहीं और उसकी ग्रन्थियां भली भांति स्वतन्त्र रूप से हिलती हैं या नहीं ।

(झ) उसे कोई चिरस्थायी त्वचा की बीमारी है या नहीं ।

(ञ) कोई जनजात कुरचना या दोष है या नहीं ।

(ट) उसमें किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान हैं या नहीं जिनसे कमजोर गठन का पता लगे ।

(ठ) कारगर टीके के निशान हैं या नहीं ।

(ड) उसे कोई संचारी (कम्यूनिकेबल) रोग है या नहीं ।

11. दिल और फेफड़ों की किसी ऐसी विलक्षणता का पता लगाने के लिए साधारण शारीरिक परीक्षा से ज्ञात न हो, उसी मामले में नेमी रूप से छाती की एक्स-रे परीक्षा की जानी चाहिए ।

जब कोई रोग मिले तो उसे प्रमाण-पत्र में अवश्य ही नोट किया जाए । मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीदवार से अपेक्षित दक्षतापूर्ण ड्यूटी में इससे बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं ।

टिप्पणी :—उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि उक्त सेवा के लिए उनकी स्वस्थता निर्धारित करने हेतु नियुक्त चिकित्सा बोर्ड—चाहे बोर्ड विशेष हो या स्थायी हो—के विरुद्ध अपील करने का अधिकार नहीं है । किन्तु फिर भी यदि सरकार पहले बोर्ड के निर्णय में गलती की संभावना के विषय में प्रमाण प्रस्तुत कर दिए जाने पर संतुष्ट हो जाती है तो यह सरकार की इच्छा पर होगा कि वह दूसरे बोर्ड के सामने अपील की इजाजत दे । इस प्रकार का प्रमाण जिस पत्र में उम्मीदवार को पहले चिकित्सा बोर्ड का निर्णय सूचित किया गया है उसकी तारीख के एक मास के अन्दर प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए अन्यथा दूसरे चिकित्सा बोर्ड की अपील करने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा ।

यदि किसी उम्मीदवार द्वारा पहले बोर्ड के विनिश्चय में निर्णय संबंधी त्रुटि की संभावना से सम्बद्ध प्रमाण के रूप में कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उस प्रमाण पत्र पर तब तक कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा जब तक इसमें सम्बद्ध चिकित्सा व्यवसायी की इस आशय की

टिप्पणी अंकित न हो कि यह टिप्पणी इस तथ्य को पूरी तरह जानते हुए अंकित की गई है कि उक्त उम्मीदवार चिकित्सा बोर्ड द्वारा सेवा हेतु अयोग्य पाए जाने पर अस्वीकृत कर दिया गया है ।

मेडिकल बोर्ड और उनकी रिपोर्ट

मेडिकल परीक्षक के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती है —

1. शारीरिक योग्यता (फिटनेस) के लिए अपनाए जाने वाले स्टैण्डर्ड में संबंधित उम्मीदवार की आयु और सेवा काल (यदि हो) के लिए उचित गुंजाइश रखनी चाहिए ।

2 किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए योग्य नहीं समझा जाएगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी (अपाइंटिंग अथारिटी) को यह तसल्ली नहीं होगी कि उसे ऐसी कोई बीमारी या शारीरिक दुर्बलता (बाडिली इनफर्मिटी) नहीं है जिससे वह उस सेवा के लिए अयोग्य हो या उसके अयोग्य होने की संभावना है ।

3 यह बात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भविष्य से भी उतना ही संबद्ध है जितना वर्तमान से है और मेडिकल परीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य निरन्तर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थायी नियुक्ति के उम्मीदवार के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय पूर्व पेंशन या ग्रदायगियों को रोकना है । साथ ही यह भी नोट कर लिया जाए कि जहां प्रश्न केवल निरन्तर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की सलाह उस हालत में नहीं दी जानी चाहिए जब कि उसमें कोई ऐसा दोष हो जो केवल बहुत कम स्थितियों में निरन्तर कारगर सेवा में बाधक पाया गया हो ।

4 महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी लेडी डाक्टर को मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा ।

5 डाक्टरी बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए ।

6 ऐसे मामलों में जब कि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार किए जाने के आधार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उम्मीदवार को बताए जा सकते हैं । किन्तु डाक्टरी बोर्ड ने जो खराबी बतायी हो उनका विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया जा सकता ।

7 ऐसे मामलों में जहां डाक्टरी बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बनाने वाली छोटी मोटी खराबी चिकित्सा (औषध या शल्य) द्वारा दूर हो सकती है वहां डाक्टरी बोर्ड द्वारा इस आशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए । नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है और जब वह खराबी दूर हो जाए तो दूसरे डाक्टरी बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने में संबंधित प्राधिकारी स्वतन्त्र है ।

(क) उम्मीदवार का कथन और घोषणा

अपनी मैडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित स्टेटमेंट देना चाहिए और उनके पास लगी हुई घोषणा (डिक्लेरेशन) पर हस्ताक्षर करने चाहिए । नीचे दिए गए नोट में उल्लिखित चेतावनी की ओर उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए ।

1 अपना पूरा नाम लिखें —

(साफ अक्षरों में) ।

2 अपनी आयु और जन्म स्थान बताये .....

3 (क) क्या आप गोरखा, गढ़वाली असमिया जैसी जातियों नागालैण्ड जनजाति आदि में से किसी से संबंधित हैं जिसका औसत कद दूसरों से कम होता है "हां" या "नहीं" में उत्तर दीजिए । उत्तर 'हां' में हो तो उस जाति का नाम बताइए ।

(ख) दूसरी कोई ऐसी बीमारी या दुर्घटना, जिसके कारण शय्या पर लेटे रहना पड़ा हो और जिसका मेडिकल या सर्जिकल इलाज किया गया हो, हुई है ?

5 आप को चेचक का टीका आखिरी बार कब लगा था ?

6 क्या आप या आपका कोई निकट का संबंधी कभी कन्जम्पशन सीरोफुला गाउट, दमा, दौरे, अपस्मार या पागलपन का शिकार हुआ है ?

7 क्या आपको अधिक काम या किसी दूसरे कारण से किसी किस्म की अधीरता (नर्वसनेस) हुई ?

8 अपने परिवार के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरे दें —

यदि पिता जीवित हों तो उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण	आपके कितने भाई जीवित है, उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपके कितने भाइयों की मृत्यु हो चुकी है मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण

यदि माता जीवित हों तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	मृत्यु के समय माता की आयु और मृत्यु का कारण	आपकी कितनी बहनें जीवित हैं उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपकी कितनी बहिनों की मृत्यु हो चुकी है । मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण

9 क्या इसके पहले किसी मैडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की है ?

10 यदि ऊपर के प्रश्न का उत्तर हां में हो तो बताइए कि किस सेवा/किन सेवाओं के लिए आपकी परीक्षा की गई थी ।

11 परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ?

12 कब और कहां मेडिकल बोर्ड हुआ ?

13 मैडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया गया हो अथवा आपको मालूम हो———————

मैं घोषित करता हूं कि जहां तक मेरा विश्वास है, ऊपर दिए गए सभी जवाब सही और ठीक हैं ।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर———————

मेरे सामने हस्ताक्षर किए———————

बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर———————

नोट —उपर्युक्त कथन की यथार्थता के लिए उम्मीदवार जिम्मेवार होगा । जानबूझकर किसी सूचना का छिपाव में वह नियुक्ति खो बैठने की जोखिम लेगा और यदि वह नियुक्त हो भी जाए तो बार्धक्य निवृत्ति भत्ता (सुपरएनुएशन अलाउंस या उपदान (ग्रेचुटी) के सभी दावों से हाथ धो बैठेगा ।

(ख) ———————(उम्मीदवार का नाम) की शारीरिक परीक्षा करने पर मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

1. सामान्य विकास : अच्छा——————औसत का——————कम ——————————पोषण : पतला————(औसत)——— मोटा——————————कद : (जूते उतारकर)————वजन———— अत्युत्तम वजन————कब था ? ——————————वजन में कोई हाल ही में हुआ परिवर्तन——————
तापमान ——————————
छाती का घेर——————————

(1) पूरा सांस खींचने पर——————
(2) पूरा सांस निकालने पर——————

2 त्वचा:—कोई जाहिरा बीमारी

3 नेत्र :—

(1) कोई बीमारी——————
(2) रतौंधी——————
(3) कलर विजन का दोष——————
(4) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड ग्राफ विजन)——————
(5) दृष्टि तीक्ष्णता (विजुअल एक्वीटी)——————
(6) फंडस की जांच——————

दृष्टि की तीक्ष्णता		चश्मे के बिना	चश्मे से	चश्मे की पावर स्फी• सिलि० एक्सिस
दूर की नजर	दा० ने०			
	बा० ने०			
पास की नजर	दा० ने०			
	बा० ने०			
हाईपरमैट्रोपिया (व्यक्त)	दा० ने०			
	बा० ने०			

4. कान : निरीक्षण————सुनना————दायां कान ————————बायां कान——————

5. ग्रंथियां ——————थाइरायड——————

6. दांतों की हालत——————

7. श्वसन तंत्र (रेसपिरेटरी सिस्टम) :—क्या शारीरिक परीक्षा करने पर सांस के अंगों में किसी अपसामान्यता का पता लगा है ? यदि पता लगा है तो पूरा ब्यौरा दें——————

8. परिसंचरण तंत्र (सर्क्युलेटरी सिस्टम)
(क) हृदय : कोई आंगिक विक्षत (आर्गेनिक लीजन)——————
गति (रेट) :
खड़े होने पर——————
25 बार कुदाए जाने के बाद——————
कुदाए जाने के 2 मिनट के बाद——————
ब्लड प्रैशर——————सिस्टालिक——————
डायस्टालिक——————

9. उदर (पेट) घेरा——————स्पर्श गह्यता——————
हर्निया ——————
(क) दबाकर मालूम पड़ना/जिगर——————
तिल्ली ——————गुर्दे——————
ट्यूमर ——————
(ख) रक्तार्श ——————
भगंदर ——————

10. तंत्रिका तंत्र (नर्व सिस्टम) तंत्रिका या मानसिक अपसामान्यता का संकेत ——————

11 चाल तंत्र (लोकोमीटर सिस्टम) :
कोई अपसामान्यता ——————

12 जनन मूत्र तंत्र (जैनिटो यूरिनरी सिस्टम)——हाइड्रोसील वैरिकोसील आदि का कोई संकेत :

मूत्र परीक्षा :—

(क) कैसा दिखाई पड़ता है ?
(ख) आपेक्षिक गुरुत्व (स्पेसिफिक ग्रेविटी)
(ग) एल्बुमैन
(घ) शक्कर
(ङ) कास्ट्स
(च) कोशिकाएं (सेल्स)

13 छाती की एक्सरे की रिपोर्ट

14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे वह इस सेवा की ड्यूटी को दक्षतापूर्वक निभाने के लिए अयोग्य हो सकता है ?

नोट :—महिला उम्मीदवार के मामले में यदि यह पाया जाता है कि वह 12 सप्ताह अथवा उससे अधिक समय से गर्भिणी है तो उसे अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए, देखें विनियम 9 ।

15. उम्मीदवार परीक्षा कर लिए जाने के बाद किन सेवाओं में कार्य के दक्ष सतत निष्पादन हेतु सभी प्रकार से योग्य पाया गया है और किन सेवाओं के लिए यह अयोग्य पाया गया है ।

स्थान ——————
तारीख——————अध्यक्ष ——————
सदस्य ——————

परिशिष्ट III

इस परीक्षा के आधार पर चुने गए स्पेशल क्लास अप्रैन्टिसों हेतु अप्रेंटिसशिप की शर्तें

अप्रैंटिसशिप की शर्तों का उल्लेख इंडियन रेलवे एस्टैबलिशमेंट मैनुअल में निर्धारित करार पत्र में कर दिया जाएगा । इसका संक्षिप्त ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

1. स्पैशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित उम्मीदवार को निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का करार करना होगा कि सरकार की संपुष्टि के अनुरूप स्पैशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस का प्रशिक्षण पूरा करने में असफल रहने पर यांत्रिक इंजीनियर की भारतीय रेलवे सेवा में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में प्रस्तावित नियुक्ति को स्वीकार न करने की स्थिति में जो धन उसे दिया गया है या सरकार द्वारा जो धन उस पर खर्च किया गया है, उसको लौटाने के लिए वह तथा उसका एक प्रतिभू संयुक्त रूप में तथा पृथक-पृथक रूप में बाध्य होंगे । सरकार को खर्च की राशि के बारे में निर्णय करने का एकमात्र प्रधिकारी होगा ।

अप्रैंटिस की शुरू में एक चार वर्षीय प्रायोगिक तथा सैद्धांतिक प्रशिक्षण इस आशय के बाध्यकर अनुबन्ध पत्र के अन्तर्गत लेना होगा कि यदि जरूरत पड़ी तो उन्हें प्रशिक्षण पूरा होने पर भारतीय रेलवे में सेवा करनी पड़ेगी । उसकी अप्रेंटिसशिप एक वर्ष के बाद दूसरे वर्ष तभी चालू रखी जाएगी जब जिस अधिकारी के अधीन वह कार्य कर रहा है उसमें संतोषजनक रिपोर्ट मिल जाती है। अप्रैंटिसशिप के दौरान यदि किसी समय वह अपने वरिष्ठ अधिकारी को इस बारे में संतुष्ट नहीं करता है कि वह अच्छी प्रगति कर रहा है तो उसे अप्रैंटिसशिप से अलग कर दिया जाएगा ।

टिप्पणी :—भारत सरकार अपनी विवेक पर प्रशिक्षण की अवधि तथा कार्य में कोई परिवर्तन या संशोधन कर सकते है ।

2. अप्रैंटिसशिप को चार वर्ष तक उपर्युक्त प्रायोगिक तथा सैद्धांतिक प्रशिक्षण किसी रेलवे वर्कशाप में दिया जाएगा । स्पेशल क्लास अप्रेंटिसों को इस अवधि के दौरान या तो काउंसिल आफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन एग्जामिनेशन (लन्दन) का भाग 1 और 2 या इंस्टीटयूशन आफ इंजीनियर्स (इंडिया) एग्जामिनेशन की एसोसिएट मेम्बरशिप का सेक्शन 'ए' और 'बी' अवश्य पास करना चाहिए । अप्रैंटिसों को पहले और दूसरे वर्षों के दौरान 350/– रु० प्र० मा० छात्रवृत्ति तथा तीसरे और चौथे वर्षों के दौरान 400/– रु प्र० मा० छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी । अप्रैंटिसशिप के दौरान उम्मीदवारों को सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा । इसमें कुल छः सिमस्टर परीक्षाएं होंगी जिनमें से प्रत्येक को उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा । यदि वे किसी परीक्षा में असफल रहते हैं तो उसके निष्पादन को देखते हुए उन्हें पूरक परीक्षा में बैठने और उसमें उत्तीर्ण होने या अगले निचले बैच में चले जाने को या अप्रैंटिसशिप से हट जाने को कहा जाएगा ।

टिप्पणी :—सिवाय जैसा कि नीचे पैराग्राफ 4 में व्यवस्था है या वह अनुशीलता असंयम या अन्य कदाचार का दोषी पाया जाता है, या कोई करार भंग कर दिया जाता है अप्रैंटिसशिप से हटाने के लिए एक सप्ताह का नोटिस दिया जाएगा ।

3. उपर्युक्त पैरा 2 में निर्दिष्ट प्रशिक्षण का चौथा वर्ष पूरा होने से पहले अप्रैंटिसों की एक सूची ली गई परीक्षा या अप्रैंटिसशिप की अवधि के दौरान प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर योग्यता क्रम में तैयार की जाएगी । सफल अप्रैंटिस यांत्रिक इंजीनियरों की भारतीय रेल सेवा में तीन वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किए जाएंगे ।

ध्यान दें :—किसी भी प्रशिक्षु को अगले स्तर की योग्यता से युक्त तभी माना जाएगा जब उसकी प्रशिक्षण की छह सिमेस्टर परीक्षाओं की अवधि में संचालित सभी परीक्षाओं में उसको कुल मिलाकर कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त हो जिसमें भारतीय रेलवे यांत्रिकी व वैद्युत इंजीनियरी संस्थान, जमालपुर के प्रधानाचार्य तथा उप मुख्य यांत्रिकी इंजीनियर के प्रतिवेदनों में प्राप्त अंक भी शामिल होंगे । यह भी जरूरी है कि छह सिमेस्टर परीक्षाओं की इस अवधि में प्रत्येक वर्ष कुल मिलाकर कम से कम 45 प्रतिशत और प्रत्येक विषय में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त हों ।

4. असफल प्रशिक्षुओं को, एक महीना पहले यह सूचना देकर कि उनकी प्रशिक्षुता असफल रही, प्रशिक्षुता से निवर्तित कर दिया जाएगा ।

5. अप्रैंटिसशिप के चार वर्ष सफलतापूर्वक पूरे करने के बाद परिशिष्ट में नीचे पैरा 1 के परन्तुक की शर्तों के अनुसार अप्रैंटिसों को यांत्रिक इंजीनियरों की भारतीय रेल सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा । यांत्रिक इंजीनियरों की भारतीय रेल सेवा के अधिकारियों के वेतन एवं सेवा की सामान्य शर्तों के विवरण परिशिष्ट IV में दिए गए है ।

परिशिष्ट IV

यांत्रिकी इंजीनियरों का भारतीय रेलवे सेवा से सम्बन्धित विवरण

1. परिवीक्षा की अवधि तीन वर्ष होगी । परिवीक्षकों के रूप में नियुक्ति और वेतन का आरम्भ (क) अप्रैंटिसशिप की 4 वर्ष की अवधि के समाप्त होने की तारीख से या (ख) प्रशिक्षण के पूरा करने की वास्तविक तारीख से, जो भी बाद की हो, माना जाएगा ।

किन्तु शर्त यह है कि उन स्पेशल क्लास अप्रैंटिसेज का, जो अपना अप्रैंटिसशिप के 1 वर्ष के भीतर ए० एम० आई० ई० (लन्दन) के भाग 1 और 2 ए०एम०आई० ई० (इण्डिया) के भाग ए० और बी० परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पायेंगे तो उन्हें केवल उसी तारीख से परिवीक्षकों के पद पर नियुक्त किया जाएगा जिसमें वे इन परीक्षाओं में से किसी एक पूर्ण रूप से सफल होंगे ।

नोट : (1) परिवीक्षकों को सेवा में बनाए रखने और उनको वार्षिक वेतन वृद्धियां स्वीकृत करने के बारे में तब ही विचार किया जाएगा जब तक कि उनके कार्य के सम्बन्ध में वर्ष के अन्त में सन्तोषजनक रिपोर्ट प्राप्त न हो जाए ।

(2) किसी भी ओर से तीन मास का नोटिस दिये जाने पर परिवीक्षकों की सेवायें समाप्त की जा सकती हैं ।

2 परिवीक्षा के प्रथम और द्वितीय वर्षों में उनको एक या अनेक भारतीय रेलवे केन्द्रों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा जिसके लिए एक निर्धारित पाठ्यक्रम होगा और यह समय समय पर संशोधित भी हो सकती है । परिवीक्षाधीन अधिकारियों को कार्य समय में बाद किसी प्राविधिक महाविद्यालय में या इंजीनियरी विषयों पर विशिष्ट भाषण सुनने के लिए भेजा जा सकता है । प्रशिक्षण की इस दो वर्ष की अवधि में प्रशिक्षण की प्रत्येक दशा के बाद अभियंता और जिस रेलवे में परिवीक्षित की नियुक्ति होती है, वहां के मुख्य परिचालक अधीक्षक द्वारा सम्मिलित रूप से आयोजित होगी जिसमें अर्हता प्राप्त करने के लिए 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे ।

3. परिवीक्षा की अवधि में उनके रेलवे कर्मचारी महाविद्यालय, बड़ौदा में एक निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा और महाविद्यालय के द्वारा आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण भी होना होगा । महाविद्यालय की यह परीक्षा अनिवार्य होगी और इसमें दुबारा बैठने की अनुमति सामान्यतः नहीं दी जाएगी जब तक कुछ आपवादिक परिस्थितियां न हों और अधिकारियों का कार्य लेख इस प्रकार की छूट को उपयुक्त प्रमाणित न करें । परीक्षा में उत्तीर्ण न होने पर सेवा समाप्त की जा सकती है और किसी भी हालत में जब तक ये परीक्षा में उत्तीर्ण न हों, उनका स्थायीकरण नहीं हो सकेगा और प्रशिक्षण और/या परिवीक्षा अवधि यथावश्यक बढ़ा दी जाएगी । परिवीक्षा की अवधि के दो वर्ष पूरा होने के पहले उनको एक विभागीय परीक्षा में भी बैठना होगा जिसके विषय होंगे—सेवा और आचरण, सामान्य और आनुषंगिक नियम, कारखाना अधिनियम, कारीगर प्रतिपूर्ति अधिनियम, श्रमिकों से काम कराने का कौशल तथा परिवीक्षा की अवधि में प्रत्येक अधिकारी को सौंपे गए कार्य या कार्यों में उनकी अनुप्रयुक्तता । उनको इस विभागीय परीक्षा में परिवीक्षा के दूसरे साल के अन्दर अन्दर उत्तीर्ण होना पड़ेगा । इस परीक्षा में उत्तीर्ण न होने पर सेवा समाप्त की जा सकती है और किसी भी हालत में उनकी वेतन वृद्धि रुकना दी जाती है । निश्चित अवधि के अन्दर किसी या सभी विभागीय परीक्षा या परीक्षाओं में उत्तीर्ण न होने के कारण जब परिवीक्षा की अवधि बढ़ानी पड़ती है, उस दशा में विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने और बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के बाद स्थायी बनाए जाने पर पहली और उसके बाद की वेतनवृद्धियों की प्राप्ति समय-समय पर प्रवर्तित नियमों और आदेशों के अनुसार नियंत्रित होगी । इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा में दूसरी बार बैठने की अनुमति नियमानुसार नहीं दी जाती है जब तक कि कुछ आपवादिक परिस्थितियां न हों और प्रशिक्षण की अवधि में उम्मीदवार का कार्य लेख कुछ ऐसा न हो कि इस प्रकार की छूट उपयुक्त मालूम पड़े ।

ध्यान द सरकार, अपन निर्णय मे, किसी भी कार्यभारी पद की प्रशिक्षण अवधि और परिवीक्षा अवधि मे परिवर्तन कर सकती है । अगर किसी मामले मे प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक समाप्त न होने पर प्रशिक्षण की अवधि बढा दी जाती हे ता तदनुसार परिवीक्षा की समस्त अवधि बढाई जाती है ।

4 परिवीक्षाधीन अधिकारियो की देवनागरी लिपि म हिन्दी की किसी अनुमोदित स्तर की परीक्षा मे पहले से ही उत्तीर्ण हुआ होना चाहिए या परिवीक्षा अवधि मे उत्तीर्ण होना चाहिए । यह परीक्षा शिक्षा निदेशक, दिल्ली के द्वारा आयोजित हिन्दी प्रवीण या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और कोई समकक्ष परीक्षा हो सकती है ।

जब तक कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी इस अपेक्षा की पूर्ति नही करता ह तब तक उसको न स्थायी किया जा सकता है और न उसका वेतन सामयिक वेतनमान मे रु० 780 00 प्रतिमास तक बढाया जा सकता है । अगर इस अपेक्षा की पूर्ति नही कर पाता हे तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है । कोई छूट नही दी जा सकती ।

5 सन् 1965 के बाद की परीक्षा के आधार पर याक्रिक इजीनियरी की भारतीय रेलवे सेवा मे नियुक्त किसी भी व्यक्ति को, अपेक्षित होने पर, किसी रक्षा सेवा से या भारतीय रक्षा मे सम्बन्धित किसी पद पर कम से कम चार वर्ष की अवधि तक काम करना होगा । अगर कोई प्रशिक्षण हो, तो इसमे उस प्रशिक्षण की अवधि शामिल है ।

परन्तु उस व्यक्ति को--

(क) परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप मे नियुक्त होने की तारीख से दस वर्ष समाप्त होने पर उपर्युक्त पद पर काम करने की आवश्यकता नही होगी ।

(ख) सामान्यत 10 वर्ष की आय पूरी हो जाने पर पूर्वोक्त सेवा नही करनी पडेगी ।

6 याक्रिक इजीनियरो की भारतीय रेल सेवा के अधिकारी :--

(क) पेशन लाभ के पात्र होंगे, और

(ख) राज्य रेलवे गैर अशदायी भविष्य निधि मे उक्त निधि के नियमो के अन्तर्गत अशदान करेगे --

जैसा कि उन रेलवे कर्मचारियो पर जो अपनी नियुक्ति के दिन कार्यभार ग्रहण करते है, लागू है ।

7 परिवीक्षाधीन अधिकारी क रूप मे सेवा शुरू करने की तारीख से वेतन शुरू हो जाएगा । उपर्युक्त पैरा 3 के अधीन वेतनवृद्धि हेतु सेवा भी उसी दिन से गिनी जाएगी । वेतन आदि का वितरण इस परिशिष्ट के पैरा 10 मे उल्लिखित है ।

8 इन विनियमो के अधीन भर्ती हुए अधिकारी इस समय लागू नियमो के जो भारतीय रेल के अधिकारियो पर लागू है, अनुसार छुट्टी के पात्र होंगे ।

9 सामान्यत अधिकारी पूरी सेवा के लिए, उसी रेल मे लगे रहेंगे जहा उनकी पहली नियुक्ति होती ह और किसी दूसरी रेल मे उन्हे स्थानान्तरण का कोई अधिकार नही होगा किन्तु भारत सरकार का यह अधिकार है कि सेवा की परीक्षाओ को देखते हुए भारत मे या बाहर किसी दूसरी रेल मे परियोजना मे स्थानातरण कर सके । अपेक्षित होने पर अधिकारियो को भारतीय रेल के स्टोर डिपार्टमेंट मे सेवा करनी होगी ।

10 याक्रिक इजीनियरो की भारतीय रेल सेवा मे नियुक्त अधिकारियो की इस समय वेतन की निम्न प्रकार दरे ग्राह्य ह ।

कनिष्ठ वेतनमान रु० 700-40-900-इ० रो०-40-1100-50-1300

वरिष्ठ वेतनमान रु० 1100 (छठा वर्ष या कम)-50-1600

कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 1500-60-1800-100-2000

वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (i) रु० 2250-125/2 250

(ii) रु० 2500-125/2-2750

टिप्पणी 1--परिवीक्षाधीन अधिकारियो को शुरू मे कनिष्ठ वेतनमान का न्यूनतम दिया जाएगा और वेतन वृद्धि के लिए उनकी सेवा कार्यारम्भ की तारीख से गिनी जाएगी । किन्तु इससे पहले कि उक्त समयमान मे उनका वेतन 740·00 रु० प्र० मा० से 780·00 प्र० मा० तक बढाया जाए उन्हे निर्धारित परीक्षा या परीक्षाए उत्तीर्ण करनी होगी ।

टिप्पणी 2--यदि वे प्रशिक्षण के पहले दो वर्षो और परिवीक्षा की अवधि के दौरान विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने मे असमर्थ रहते है तो रु० 740·00 से रु० 780·00 तक वृद्धि रोक दी जायेगी । जब निर्धारित अवधि के दौरान सभी विभागीय परीक्षाओ मे असफल रहने के कारण प्रशिक्षण अवधि बढानी पडी हो तब प्रशिक्षण की बढी हुई अवधि की समाप्ति के पश्चात उनके विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर उनका वेतन जिस तारीख को अन्तिम परीक्षा समाप्त होती ह उसके बाद की तारीख से उक्त समयमान मे उस अवस्था पर नियत किया जायेगा जो वे अन्यथा प्राप्त कर लेते । किन्तु उन्हे वेतन का कोई बकाया नही दिया जायेगा । ऐसे मामलो मे भविष्यगत वेतनवृद्धि की तारीख प्रभावित नही होगी ।

11 वेतनवृद्धि केवल अनुमोदित सेवा के लिए और विभागीय नियमो के अनुसार दी जाएगी ।

12 प्रशासनिक ग्रेडो मे पदोन्नति सम्बीकृत स्थापना मे रिक्तिया होने पर ही होती हे और पूरी तरह चयन पर आधारित होती है । केवल वरिष्ठता पदोन्नति का कोई अधिकार प्रदान नही करती ह ।

श्रम मंत्रालय

(रोजगार एव प्रशिक्षण महानिदेशालय)

नई दिल्ली, दिनांक 27 दिसम्बर 1980

(संकल्प)

विषय .---रोज़गार संबंधी केन्द्रीय समिति ।

स० डी० जी० ई० एण्ड टी०-3(3)/77-ई० ई०-I---भारत सरकार ने रोजगार अवसर सृजित करने और राष्ट्रीय रोजगार सेवा के कार्याचालन से संबधित समस्याओ पर तत्कालीन श्रम मत्रालय को परामर्श देने के लिए रोजगार सबंधित एक केन्द्रीय समिति 1958 मे गठित की थी । यह समिति समय-समय पर पुनर्गठित की गई है और अद्यतन पुनर्गठित समिति की अवधि 26 मई, 1978 को समाप्त हो गई है ।

2 चूंकि दो दशक पहले रोजगार सबधी केन्द्रीय समिति के कार्य उस समय की स्थितियो का ध्यान मे रख कर निर्धारित किए गए थे, सरकार ने रोजगार क क्षेत्र म वर्तमान प्राथमिकताओ के सदर्भ मे इसकी पुनरीक्षा की है तदनुसार सरकार न रोजगार से सबधित समस्याओ पर श्रम मत्रालय को परामर्श देने के लिए रोजगार सबधी एक नई केन्द्रीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। इस समिति के कार्य और गठन निम्न प्रकार होगा —

1 केन्द्रीय रोजगार समिति के ये कार्य होगे —

(क) समय समय पर रोजगार एव बेरोजगारी सबधी स्थिति की पुनरीक्षा करना और बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार सबधी समस्या निपटाने के लिए उपायो का सुझाव तथा इस प्रयोजन के लिए विशेषकर अपनाई जाने वाली रोजगार नीतियो की सलाह देना,

(ख) विकासशील नीतियो, विशेषकर शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र म, रोजगारोन्मुख मे सबधित मामलो पर सलाह देना ,

(ग) जनशक्ति और रोजगार सूचना प्रणाली का समय-समय पर पुनरीक्षण और रोजगार योजना तथा उन्नति के लिए सूचना आधार को सुदृढ करन हेतु उपयो का सुझाव देना,

(घ) देश मे रोजगार के अवसरो का अधिक विस्तृत फैलाव लाने के उपायो पर सलाह देना ताकि समाज के सभी वर्गो, विशेषकर समाज के अधिक कमजोर वर्गो और पिछडे क्षेत्रो मे सबधित लोगो हेतु रोजगार अवसरो के लिए न्यायसगत पहुच सुनिश्चित की जा सके,

(ङ) राष्ट्रीय रोजगार सेवा के विकास पर सलाह देना ताकि रोजगार आयोजन एव प्रोन्नति तथा जन शक्ति की गतिशीलता मे यह प्रभावी रोल अदा कर सके, और

(च) प्रशिक्षित दस्तकारो की आवश्यकताओ का मूल्याकन करना तथा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद को सलाह देना ।

2 समिति मे निम्नलिखित शामिल होगे —

1 केन्द्रीय योजना तथा श्रम मत्री अध्यक्ष

2 श्रम राज्य मत्री उपाध्यक्ष

3 श्रम उप मत्री उपाध्यक्ष

4 योजना आयोग मे ग्रामीण तथा शहरी रोजगार कार्यक्रमो के प्रभारी सदस्य

5 सचिव, श्रम मंत्रालय

6 सचिव, शिक्षा मत्रालय

7 रोजगार और प्रशिक्षण महा- सदस्य सचिव
निदेशक तथा सयुक्त सचिव,
श्रम मत्रालय

8 निदेशक रोजगार सेवाए, श्रम मत्रालय

9 श्रम, रोजगार तथा जनशक्ति प्रभाग के प्रमुख, योजना आयोग

10 विकास आयुक्त, लघु उद्योग, उद्योग मत्रालय

11 उद्योग मत्रालय मे उपयुक्त तकनीकी सैल का एक प्रतिनिधि

12 खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग

13 ग्रामीण पुनर्गठन मत्रालय का एक प्रतिनिधि

14 अल्पसख्यक आयोग का एक प्रतिनिधि

15-46 सभी राज्य सरकारो तथा सघ राज्य क्षेत्रो का प्रत्येक का एक प्रतिनिधि

47-49 श्रमिक सगठनो के तीन प्रतिनिधि

50-52. नियोजको के सगठनो के तीन प्रतिनिधि ।

53 सरकारी उद्यम कार्यालय, वित्त मत्रालय का एक प्रतिनिधि ।

54-63 ससद के दस सदस्य, जिन मे से चार विपक्षी दलो के है देश के छ. क्षेत्रो मे से कम से कम एक एक ।

64-65 दो अर्थशास्त्री

66 निदेशक, इस्टीट्यूट आफ अपलाइड मैन पावर रिसर्च, नई दिल्ली ।

67 प्रभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नई दिल्ली ।

68 अखिल भारतीय महिला सगठनो का एक प्रतिनिधि ।

69-70 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति सगठनो के दो सदस्य (विभिन्न सगठनों के बीच हर वर्ष परिचालित करना) ।

3 सदस्यो की कार्य अवधि ।

समिति के सदस्यों की नियुक्ति तीन वर्षो के लिए होगी ।

4 उप समितिया

समिति को यह अधिकार प्रदान किए गए है कि वह अपनी सहायता के लिए यथा अपेक्षित उप समितिया गठित कर सकती है ।

5 आदेश है कि यह सकल्प भारत के राजपत्र मे जन-साधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए ।

के० एम० बरोई,
उप सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 14th January 1981

No 1 Pres /81—*Corrigendum*—The following amendments are made in this Secretariat Notification No. 37-Pres / 80, dated the 26th January, 1980, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, dated the 24th May, 1980, relating to the award of Shaurya Chakra

(1) 5 Captain JAYANT THAPA (IC 30365), 3 Gorkha Rifles.

For (Effective date of the award . 3rd September, 1979)"

Read "(Effective date of the award, 3rd September 1978)".

(2) 6 5235877 Naik DIL BAHADUR BURATHOKI, 3 Gorkha Rifles

For (Effective date of the award 3rd September 1979)"

Read '(Effective date of the award : 3rd September 1978)"

S NILAKANTAN
Dy Secy to the President

PLANNING COMMISSION

New Delhi 110 001, the 19th December 1980

RESOLUTION

No E 11015/3/80 Hindi—The Government of India have decided to constitute a Hindi Salahkar Samiti for the Ministry of Planning The composition, functions, etc of the Samiti will be as follows

Chairman

1 Minister of Planning

Two MPs from Lok Sabha

Members

2 To be nominated

3 To be nominated

Two MPs, from Rajya Sabha

Members

4 To be nominated

5 To be nominated

Two MPs from Parliamentary Committee on Official Language

Members

6 To be nominated

7 To be nominated

Representatives from Voluntary Organisations etc

Member

8 President,
Kendriya Sachivalaya,
Hindi Parishad,
New Delhi

Members

9 Shri R P Naik,
Vice Chancellor,
Jabalpur University,
Jabalpur

10 Dr Prabhakar Machwe,
Director,
Bharatiya Bhasha Sansthan,
Calcutta.

11 Shri Ganga Sharan Sinha,
President,
Akhil Bharatiya Hindi,
Sanstha Sangh,
Delhi

12 Dr Dharma Vir Bharati,
Editor,
Dharmayug,
Times of India,
V T , Bombay

13 Shri Anand Jain,
Editor,
Nav Bharat Times,
New Delhi

14 Dr Mahavir Adhikari
Karim Manor,
2nd Floor,
Ovendunn Road
Kamdevi, Bombay

15 Shri Surendra Verma,
Akhil Bharatiya Laghu Samachar
Patra Sampadak Mandal,
4021, Bagichi Ram Chandra,
Paharganj, New Delhi

16 Shri Mukul Chandra Pandeya,
General Secretary,
Hindi Vyavahar Sanghthan,
10/11, Triveni Nagar,
Sitapur Road, Lucknow

17 Shri Bhagwati Sharan Singh,
Retired Education Secretary
and Writer,
Mahanagar, Lucknow.

18 Shri Ram Sahai Pandey
141, Jai Raj House,
Colaba Bombay 5

Members

Officials

19 Member-Secretary,
Planning Commission

20 Secretary,
Department of Statistics

21 Secretary,
Department of Official Language &
Hindi Adviser to the Government of India.

22 Adviser (Administration),
Planning Commission

23 Adviser (Plan Coordination),
Planning Commission

24 Director,
Central Statistical Organisation

25 Joint Secretary (State Plans),
Planning Commission

26 Chief Executive Officer,
National Sample Survey Organisation

27 Joint Secretary,
Department Official Language,

28 Director (Administration),
Planning Commission

Member-Secretary

29 Senior Hindi Officer,
Planning Commission.

II *Functions*

The Samiti will advise the Ministry of Planning on matters relating to progressive use of Hindi for official purposes and allied issues

III *Tenure*

The term of the Samiti will be three years from the date of its composition provided that —

(a) a member, who is a Member of Parliament, ceases to be a Member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament,

(b) Ex officio members of the Samiti shall continue as members so long as they hold the office by virtue of which they are members of the Samiti;

(c) If a vacancy arises on the Samiti due to death or resignation of member the member appointed in that capacity shall hold office for the residual term

IV. *General*

(i) The Samiti may nominate additional members as co-opted members and invite experts to attend its meetings as may be considered necessary.

(ii) The Headquarter of the Samiti shall be at New Delhi but it may hold its meetings at any other station also.

V. *Travelling and other Allowances*

The non official members will be paid travelling and daily allowances for attending the meetings of the Samiti at the rates fixed by Government of India from time to time.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the members of the Samiti, all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India and all the Ministries/Departments of Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. MOHAN, Director (Admn.)

MINISTRY OF LAW JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

(COMPANY LAW BOARD)

New Delhi, the 2nd January 1981

ORDER

No. 27(26)80-CL-II.—In pursuance of Clause (ii) of Sub-section (1) of Section 209A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authories Shri O. P. Chadha, Deputy Director, Inspection in the Department of Company Affairs for the purposes of the said Section 209A.

KESHAW PRASAD Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi the 29th December 1980

RESOLUTION

F. No. F-20016/1/80-Coord.—The Customs and Central Excise Advisory Council as constituted under the Department of Revenue Resolution No. F.20016/2/78 Coord dated the 30th Oct., 1978 is reconstituted as under :—

(i) (a) Chairman—Minister of Finance

(b) Vice-Chairman - Minister for Revenue and Expenditure.

(ii) Two Members of Parliament (one from each House)

(a) Shri B. V. Desai—Lok Sabha.

(b) Shri Mulka Govinda Reddy—Rajya Sabha.

(iii) Seven ex-officio Members :—

(a) President, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry;

(b) Vice-President Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry;

(c) President Associated Chambers of Commerce and Industry of India;

(d) President All India Manufacturers' Organisation;

(e) President All India Importers' Association;

(f) President All India Exporters' Chamber;

(g) President Federation of Associations of Small Industries of India;

(iv) Not less than eight members to be nominated by the Government of India from time to time :—

1. Shri Shashikant Garware, Chairman of various companies in the Garware group of industry.

2. Shri V. L. Dutt, Managing Director, M/s. KCP Ltd., Madras.

3. Shri H. P. Nanda, President, Escorts (P) Ltd.

4. Shri Prafull Anubhai, President of Ahmedabad Textile Mills Association, Ahmedabad.

5. Shri A. Sivasailam, Chairman, Amalgamations Ltd., Madras.

6. Shri M. B. Bhaskare, Managing Director M/s. Greaves Cotton & Co., Bombay.

7. Shri Sanjoy Sen, M/s. Sen & Pandit Limited, Calcutta

8. Shri S. B. Sen, President, Federation of Freight Forwarders Association in India.

(v) Director General, Bureau of Public Enterprises;

(vi) Finance Secretary;

(vii) Chairman, Central Board of Excise and Customs;

(viii) All Members, Central Board of Excise and Customs;

(ix) Gold Control Administrator;

(x) Additional Secretary (Anti-Smuggling).

One of the Secretaries/Directors to the Central Board of Excise and Customs will act as Secretary of the Council.

2. The term of office of nominated non-official members shall be two years. The term of office of Members of Parliament shall be two years or till they cease to be Members of Parliament, whichever is earlier.

The Chairman of the Council may specially invite any other person or persons to attend any meeting of the Council.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to President's Secretariat, Prime Minister's office, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Central Revenues, Controller General of Accounts, All Ministries and Departments of the Government of India, Press Information Bureau, Chief Controller of Accounts, Central Board of Excise and Customs, All Collectors of Central Excise/Customs and all Members of the Customs and Central Excise Advisory Council.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. K. BANDOPADHYAY, Addl. Secy.

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

New Delhi-16, the 31st December 1980

Sub : Extension of term of the Indian National Committee for International Hydrological Programme

No. 1(1)/78(N)-IHP.—In continuation of the Notification No. 1(1)/78(N)-IHP dated August 18, 1980 on the above subject, the term of the Indian National Committee for International Hydrological Programme is hereby extended upto 31-3-1981.

M. G. K. MENON, Secy.
Department of Science & Technology

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

DEPARTMENT OF EDUCATION

(ASIAN GAMES CELL)

New Delhi, the 31st December 1980

Sub : Reconstitution of Steering Committee for Asian Games, 1982.

No. F-1-2/80-AGC(D. IV-SP).—In continuation of the Ministry of Education and Culture's Resolution of even number dated the 4th August, 1980, 21st August, 1980, 26th September, 1980 and 7th October, 1980, on the subject mentioned above, it has been decided that Shri Sawai Singh Sisodia, Minister of State for Finance will be a member of the Steering Committee for Asian Games, 1982 and will preside over the meetings of the Finance Committee of the Steering Committee in place of Shri R. Venkatraman, Minister of Finance.

S. RAMAMOORTHI, Jt. Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P & T BOARD)

New Delhi-110001, the 30th December 1980

RESOLUTION

No. F-12016/1/73-Hindi-A.—The Government of India have decided to re-constitute the 'Dak Tar Hindi Salahkar Samiti' in the Ministry of Communications with effect from 1st January, 1981. The composition and functions of the Samiti shall be as follows :

I. *Composition*

Chairman

1. Minister of Communications.

Vice-Chairmen

2. Minister of State for Communications.

3 Deputy Minister for Communications.

Members

4. Secretary (Communications)

5. Member (Administration), P. & T. Board.

6. Member (Postal Operation), P. & T. Board.

7. Member (Telecom. Operation), P. & T. Board.

8. Secretary, P. & T. Board.

9. Chairman & Managing Director,
Hindustan Teleprinters Ltd., Madras.

10. Hindi Adviser to the Govt. of India & Secretary, Department of Official Language.

Member-Secretary

11. Director (Official Language).

Members

12. Shri Fatehbhanu Chouhan,
Member of Parliament,
Lok Sabha.

13. Shri T. Damodar Reddy,
Member of Parliament,
Lok Sabha.

14. Shri P. K. Prajapati,
Member, Rajya Sabha.

Members

15. To be nominated,
Rajya Sabha.

16. Shri Ramavatar Shashtri,
Member of Parliament.

17. Shri Ganpat H. Bhagat,
Member of Parliament.

18. Shri Nazeer Banarasi,
Pande Haveli, Varanasi.

19. Dr. Malik Mohammad,
Head of the Department of Hindi,
University of Calicut, Kerala.

20. Dr. Nagendra, E-4/18, Model Town,
Delhi-110009.

21. Dr. Prabhakar Machwe,
Director,
Bhartiya Bhasha Parishad,
36-A, Shakespear Sarani,
Calcutta-700017.

22. Prof. D. I. Munim,
Member,
Gujarat Public Service Commission,
Ahmedabad.

23 Dr. (Smt.) Kanika Tomer,
Reader,
Hindi Department, Shanti Niketan,
Bolpur-731235 (West Bengal).

24. Prof. N. Nagappa,
1616, 5th Cross Hosiery, Mysore-570004.

25. Father Camil Bulke,
Manresa House, Prof. Bungalow No 2,
Ranchi-834001.

26. Shri G. P. Nene,
61/21, Erandwane, Pune-4.

27. Dr. Sitaram Jaiswal,
Panchabati,
Mahanagar, Lucknow-226001.

28. Dr. (Smt.) Priti Lata Tripathi,
5, Talkatora Road,
New Delhi-110001.

29. Dr. Vachan Dev Kumar,
Prof. & Head of Hindi Department,
Ranchi University, Ranchi.

30. Prof. Jogesh Chandra Choudhry,
B. N. College, Patna-800004.

31. Shri V. Anjaneya Sarma,
Kulasachiv,
P. G. Complex,
Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha,
Hyderabad-500004.

II. *Tenure*

The tenure of the members of the Samity shall ordinarily be three years with effect from 1st January, 1981.

III. *Functions*

Functions of the Samiti will be to advise the Government on matters relating to the progressive use of Hindi for official purposes in the P. & T. Department and the Ministry of Communications.

The Samiti will have powers to appoint Sub-Committees and co-opt additional members as may be necessary, for assisting it in discharge of its functions.

IV. *Headquarters*

The headquarters of the Samiti shall be at New Delhi.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to Prime Minister's Secretariat, Department of Parliamentary Affairs Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat and all Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

H. S. SHAH, Secy, P&T Board

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT
(SHIPPING WING)
New Delhi-1, the 1st January 1981
RESOLUTION

No. SW/MTC(23)/80-MT.—In pursuance of Resolution of the Government of India in the late Ministry of Transport and Communications (Department of Transport) No. 24-MT(6)/52 dated the 17th August, 1959, the Central Government have reconstituted the Merchant Navy Training Board for a period of two years from the date of issue of this Resolution as follows :

Chairman

1. Shri Chandrabhan Athare Patil,
Member of Parliament (Lok Sabha).

Vice-Chairman (Ex-Officio)

2. Director General of Shipping,
Bombay.

Representative of Parliament

3. Shri S. K. Vaishampayam,
Member of Parliament (Rajya Sabha).

Members (Ex-officio)

4. Joint Secretary to the Govt. of India,
Ministry of Shipping and Transport,
dealing with the Merchant Navy Training Institutions.

5. Joint Secretary to the Govt. of India,
Finance Division, Ministry of Shipping and Transport.

6. Nautical Adviser to the Government of India,
Bombay.

7. Chief Surveyor with the Government of India,
Bombay.

8. Principal, Lal Bahadur Shastri Nautical and
Engineering College, Bombay.

9. Captain Superintendent,
Training Ship 'Rajendra', Bombay.

10. Director, Marine Engineering Training,
Calcutta.

11. Superintendent,
Ratings Training Establishment 'Bhadra'
Calcutta.

12. Assistant Educational Adviser (T),
Western Regional Office,
Ministry of Education & Culture,
2nd floor, Industrial Assurance Building,
Bombay.

13. Joint Director of Naval Training,
Naval Headquarter,
Delhi.

Representative of the All India Council for Technical Education

14. Prof. S. Sampath,
Member, U.P.S.C.

Representative of the Shipping Corporation of India

15. Captain S. G. Bhoot,
Chief Personnel Manager,
Shipping Corporation of India Ltd., Bombay.

Representative of Port Trust

16. Capt. Gopal Krishnan Lajmi,
Harbour Master, Bombay Port Trust,
Bombay.

Representatives of the Indian National Ship Owners Association

17. Shri T. M. Gocaldas.
18. Capt. S. K. Misra.

Representative of Owners/Agents Committee (Crew) Bombay/Calcutta

19. Shri K. S. Bhandarkar,
(Captain R. Prem Chand,
India Steamship Co. Ltd),
alternative representative in the event of the Board Meeting in Calcutta.

Representative of Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry

20. Captain A. I. I. Ipe,
Messrs Kamath & D'Abrao,
Post Box No. 578, Cochin 682303.

Representative of the Maritime Union of India

21. Shri K. E. Sukhia.

Representative of National Union of Seafarers of India

22. Shri Leo Barnes.

Representative of National Union of Seamen of India Calcutta

23. Shri Bijoy Mukherjee.

Member-Secretary

24. Deputy Director General of Shipping, Bombay dealing with Merchant Navy Training.

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the Private and Military Secretaries to he President, the Prime Minister's Secretariat, the Cabinet Secretariat, all the Ministries of the Government of India, all the State Governments, the Port Trusts and the Director General of Shipping, Bombay.

ORDERED also that the Resolution be punished in the Gazette of India for general information.

A. PADMANABAN, Jt. Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

RULES

New Delhi, the 24th January 1981

No. 80/E(GR)I/1/7.—The rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1981 for selection of candidates for appointment as Special Class Apprentices, in the Indian Railway Service of Mechanical Engineers, are published for general information.

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservation will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order 1950; the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950; the Constitution (Scheduled Castes) Union Territories Order; 1951; the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951; (as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists) (Modification) Order,1956; the Bombay Reorganisation Act, 1960; the Punjab Reorganisation Act, 1966; the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976; the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956; the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976; the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the duled Castes Order, 1962; the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962; the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964; the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967; the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968; the Constitution (Goa, Daman and Diu); Scheduled Tribes Order, 1968; and the Constitution (Nagaland), Scheduled Tribes Order, 1970.

3. The examination will be conducted by the Commission in the manner prescribed in Appendix I to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. A candidate must be either

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East Africa countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania or from Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

5. (a) A candidate must have attained the age of 16 years and must not have attained the age of 20 years on 1st January 1981, *i.e.*, he must have been born not earlier than 2nd January 1961, and not later than 1st January, 1965.

(b) The upper age limit prescribed above will be relaxable—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Castes or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangladesh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe; and is also a bona fide displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangladesh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate or prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964, or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate or prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(vii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(viii) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a distrubed area and released as a consequence thereof;

(ix) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed areas and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(x) up to a maximum of three years in the case of Border Security Force Personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971, and released as a consequence thereof;

(xi) up to a maximum of eight years in the case of Border Security Force Personnel, disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971, and released as a consequence thereof who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin (Indian Passport holder) from Vietnam as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July, 1975; and

(xiii) up to maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania or who is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

6. A candidate—

(a) must have passed in the first or second, division the Intermediate or an equivalent Examination of a University or Board approved by the Government of India with Mathematics and at least one of the subjects Physics and Chemistry as subjects of the examination.

Graduates with Mathematics and at least one of the subjects Physics and Chemistry as their degree subjects may also apply, or

(b) must have passed in the first or second division the Higher Secondary (12 years) Examination under 10+2 pattern of School Education with Mathematics and at least one of the subjects Physics and Chemistry as subjects of the examination, or

(c) must have passed the first year Examination under the three-year degree course of a University or the first examination of the three-year diploma course in Rural Services of the National Council for Rural Higher Education, or the third year Examination for promotion to the 4th year of the four-year B.A./B.Sc. (Evening College) Course of the Madras University with Mathematics and at least one of the subjects Physics and Chemistry as subject of the examination provided that before joining the degree/diploma course he passed the Higher Secondary Examination or the Pre-University or equivalent Examination in the first or second division.

Candidates who have passed the first/second year Examination under the three-year degree course in the first or second division with Mathematics and either Physics or Chemistry as subjects of the Examination may also apply provided the first/second year examination is conducted by a University; or

(d) must have passed in the first or second division the Pre-Engineering Examination of a University; approved by the Government of India; or

(e) must have passed in the first or second division the Pre-Professional/Pre-Technological Examination of any Indian University or a recognised Board, with Mathematics and at least one of the subjects Physics and Chemistry as subjects of the examination conducted one year after the Higher Secondary or Pre-University stage; or

(f) must have passed in the first year examination under the five year Engineering Degree Course of a University, provided that before joining the Degree Course, he passed the Higher Secondary Examination or Pre-University or equivalent examination in the first or second division.

Candidates who have passed the first year Examination of the five-year Engineering Degree Course in the first or second division may also apply provided the first year Examination is conducted by a university; or

(g) must have passed in the first or second division the Pre-degree Examination of the Universities of Kerala and Calicut with Mathematics, and at least one of the subjects Physics and Chemistry as subjects of the examination.

NOTE I.—Candidates who are not awarded any specific division by the University/Board either in the Intermediate or any other examination mentioned above will be considered educationally eligible provided their aggregate of marks falls within the range of marks for first or second division as prescribed by the University/Board concerned.

NOTE II.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at the examination but has not been informed of the result may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply. Such candidates will be admitted to the examination if otherwise eligible but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination. as soon as possible and in any case not later than 20th August, 1981.

NOTE III.—In exceptional cases, the Commission may treat a candidate, who has not any of the qualifications prescribed in this rule as educationally qualified provided that he possesses qualifications the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

7. Candidates must pay the fee prescribed in para 5 of the Commission's Notice.

8. All candidates in Government service, whether in a permanent or in temporary capacity or as work-charged employees. Other than casual or daily-rated employees, will be required to submit an undertaking that they have informed in writing, their Head of Office/Department that they have applied for the Examination.

9. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

10. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

11. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of—

(i) obtaining support for his candidature by any means; or

(ii) impersonating; or

(iii) procuring impersonation by any person; or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with; or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information; or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination; or

(vii) using unfair means during the examination; or

(viii) writing irrelevant matter including obscene language or pronographic matter, in the script(s); or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall; or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examinations; or

(xi) attempting to commit or as the case may be abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses.

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission, from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) if he is already in service under Government, to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after—

(i) giving the candidate an opportunity of making such respresentation in writing as he may wish to make in that behalf; and

(ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate, within the period allowed to him, into consideration.

12. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion, shall be summoned by them for the Personality Test.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes may be summoned for the Personality Test by the Commission by applying relaxed standards if the Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be summoned for the Personality Test on the basis of the general standard in order to fill up the vacancies reserved for them.

13. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in

that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for appointment to the Service, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

14. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

15. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Railway Service.

16. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate who after such medical examination as Government or the appointing authority as the case may be may prescribe is found not to satisfy these requirements will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined. Candidates will have to pay a fee of Rs. 16.00 to the Medical Board concerned at the time of the medical examination.

NOTE.—In order to prevent disappointment candidates are advised to have themselves examined by a Government medical officer of the standing of a Civil Surgeon, before applying for admission to the examination. Particulars of the nature of the medical test to which candidates will be subjected before appointment and of the standards required are given in Appendix II to these Rules. For the disabled ex-Defence Services Personnel and Border Security Force Personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971 and released as a consequence thereof, the standards will be relaxed consistent with the requirements of the service.

17. No person

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to service

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

18. Conditions of apprenticeship for the Special Class Apprentices selected through this examination are given in Appendix III. Brief particulars relating to the Indian Railway Service of Mechanical Engineers are also given in Appendix-IV.

K. BALACHANDRAN,
Secy. Railway Board.

APPENDIX I

(*SEE Rule* 3)

The examination shall be conducted according to the fllowing plan :

Part I—Written examination carrying a maximum of 700 marks in the subject as shown below :

Part II—Personality Test carrying a maximum of 200 marks. (*Vide* Rule 12)

2. The subjects of the written examination under Part I, the time allowed and the maximum marks allotted to each subject/paper shall be as follows—

Sl. No.	Subject	Time Allowed	Maximum Marks
1.	English	2 Hours	100
2.	General Knowledge	2 Hours	100
3.	Physics	2 Hours	100
4.	Chemistry	2 Hours	100
5.	Mathematics I— (Algebra, Elementary Mensuration, Trigonometry & Analytic Geometry)	2 Hours	100
6.	Mathematics II— (Calculas-Differential and Integral andMechanis (Statics and Dynamics)	2 Hours	100
7.	Psychological Test	1 Hour	100
		Total	700

3. THE PAPERS IN ALL THE SUBJECTS WILL CONSIST OF OBJECTIVE TYPE QUESTIONS ONLY. FOR DETAILS INCLUDING SAMPLE QUESTIONS PLEASE SEE CANDIDATES, INFORMATION MANUAL APPENDED TO COMMISSION'S NOTICE (ANNEXURE-II).

4. IN THE QUESTION PAPERS WHEREVER NECESSARY, QUESTIONS INVOLVING THE METRIC SYSTEM OF WEIGHTS AND MEASURES ONLY WILL BE SET.

5. Question papers will be approximately of the Intermediate standard.

6. Candidates must write the answers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

7. The syllabus for the examination will be as shown in the attached Schedule.

8. The Commission have the discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects at the examination.

SCHEDULE

ENGLISH.—The questions will be designed to test the candidate's understanding and command of the language.

GENERAL KNOWLEDGE

The paper aims at testing a candidate's general awareness of the environment around him and its application to society the standard of answers to questions should be as expected of students of standard 12 or equivalent.

Man and his environment

Evolution of life, plants and animals, heredity and environment—Genetics, cells, chromosomes, genes.

Knowledge of the human body—nutrition, balanced diet, substitute foods, Public health and sanitation including control of epidemics and common diseases. Environmental pollution and its control. Food adulteration proper storage and preservation of foodgrains and finished products. Population explosion, population control. Production of food and raw materials. Breeding of animals and plants, artificial insemination, manures and fertilisers, crop protection measures, high yielding varieties and green revolution, main cereal and cash crops of India.

Solar system and the earth. Seasons, Climate, Weather, Soil—its formation, erosin, Forest and their uses, Natural calamities (cyclones, floods, earthquakes, volcanic eruptions). Mountains and rivers and their role in irrigation in India. Distribution of natural resources and industries in India. Exploration of under-ground minerals including oil-conservation of natural resources with particular reference to the flora and fauna of India.

History, Politics and Society in India

Vedic, Mahavir, Buddha, Mauryan, Sunga, Andhra, Kushan, Gupta ages (Mauryan Pillars, Stupa Caves; Sanchi, Mathura and Gundharva Schools, Temple architecture; Ajanta and Ellora). The rise of new social forces with the coming of Islam, and establishment of broader contacts. Transition from feudalism to capitalism. Opening of European contacts. Establishment of British rule in India Rise of nationalism and national struggle for freedom culminating in Independence.

Constitution of India and its characteristic features—democracy, Secularism, socialism, equality of opportunity and Parliamentary form of government—Major political ideologies—democracy, socialism, communism and Gandhian idea of non-violence Indian political parties, pressure groups, public opinion and the press, electoral system.

India's foreign policy and non-alignment—arms race balance of power. World organisations—political, social economic and cultural. Important events (including sports and cultural activities) in India and abroad during the past two years.

Broad features of Indian social system : the caste system hierarchy recent changes and trends. Minority social institutions—marriage, family, religion and acculturation.

Division of labour, co-operation, conflict and competition, social control—reward and punishment, art, law, custom, propaganda, public opinion; agencies of social control—family, religion, state, educational institutions; factors of social change—economic, technological, demographic, cultural; the concept of revolution.

Social disorganisation in India—Casteism, communalism, corruption in pulbic life, youth unrest, beggary, drugs, delinquency and crime, poverty and unemployment.

Social planning and welfare in India community development and labour welfare; welfare of Scheduled Castes and backward classes.

Money taxation, price demographic trends, national income, economic growth; Private and Public Sectors; economic and non-economic factors in planning, balanced versus imbalanced growth, agricultural versus industrial development; inflation and price stablisation problems of resource mobilisation, India's Five Year Plans.

PHYSICS

Length measurements using vernier, screw, gauge, spherometer and optical lever.

Measurement of time and mass.

Straightline motion and relationships among displacement, velocity and acceleration.

Newton's laws of motion. Momentum, impulse, work energy and power.

Coefficient of friction.

Equilibrium of bodies under action of forces. Moment of a force; couple. Newton's law of gravitation. Escape velocity. Acceleration due to gravity.

Mass and Weight, Centre of gravity. Uniform circular motion. Centripetal force; Simple Harmonic motion. Simple pendulum.

Pressure in a fluid and its variation with depth. Pascal's law. Principle of Archimedes. Floating bodies. Atmospheric pressure and its measurement.

Temperature and its measurement Thermal expansion Gas laws and absolute temperature. Specific heat, latent heat and their measurement. Specific heats of gases. Mechanical equivalent of heat. Internal energy and first law of thermodynamics. Isothermal and adiabatic changes. Transmission of heat; thermal conductivity.

Wave motion. Longitudinal and transverse waves. Progressive and stationary, waves. Velocity of sound in a gas and its dependence on various factors. Resonance phenomena (air columns and strings).

Reflection and refraction of light. Image formation by curved mirrors and lenses. Microscopes and telescopes. Defects of vision.

Prisms; deviation and dispersion. Minimum deviation. Visible spectrum.

Field due to a bar magnet. Magnetic moment. Elements of Earth's magnetic field. Magnetometers. Dia, para and ferromagnetism.

Electric charge, electric field and potential; Coulumb's law.

Electric current; electric cells. e.m.f. resistance; Ammeters and Voltameters; Ohm's law; resistances in series and parallel, specific resistance and conductivity. Heating effect of current.

Wheatstone's bridge, Potentiometer.

Magnetic effect of current; straight wire, coil and solinoid electromagnet; electric bell.

Force on a current-carrying conductor in magnetic field; moving coil galvanometer; conversion to ammeter or voltmeter.

Chemical effects of current; Primary and storage cells and their functioning. Laws of electrolysis.

Electromagnetic induction; simple A.C. and D.C. generators. Transformers; Induction coil.

Cathode rays, discovery of the electron; Bohar model of the atom. Diode and its use as a rectifier.

Production, properties and uses of X-rays.

Radioactivity; Alpha, Beta and Gamma rays.

Nuclear energy, fission and fusion; conversion of mass into energy, chain reaction.

CHEMISTRY

Physical Chemistry

1. Atomic structure; Earlier models in brief. Atom as a three dimensational model. Orbital concept. Quantum numbers and their significance, only elementary treatment. Paull's Exclusion Principle. Electronic configuration, Aulbau Principle, s. p. d and F block elements.

Periodic classification only long form. Periodicity and electronic configuration. Atomic radii, Electro-negativity in periods and groups.

2. Chemical Bonding : Electro-valent covalent. Cordinate covalent bonds. Bond Properties δ and π bonds, Shapes of simple molecules like water, hydrogen sulphide, methane and ammonium chloride. Molecular association and hydrogen bonding.

3. Energy changes in a chemical reaction : Exothermic and Endothermic Reactions. Application of First Law of Thermodynamics. Hess's Law of constant heat summation.

4. Chemical Equilibria and rates of reactions. Law of Mass action. Effect of Pressure. Temperature and concentration on the rates of reaction (Qualitative treatment based on Le Chatelier's Principle). Molecularity. First and Second order reaction. Concept of Energy of activation. Application to manufacture of Ammonia and Sulphur trioxide.

5. Solutions . True solutions, colloidal solutions and suspensions. Colligative properties of dilute solutions and determination of Molecular weights of dissolved substances. Elevation of boiling points. Depression of freezing point. Osmotic Pressure. Raoult's law (Nonthermodynamic treatment only).

6. Electro-Chemistry : Solution of Electrolytes. Faraday's Laws of Electrolysis. Ionic quilibria. Solubility Product.

Strong and weak electrolytes Acids and Bases (Lewis and Bronstead's). P.H. and Buller solutions.

7. Oxidation—Reduction; Modern electronic concept and oxidation number.

8 Natural and Artificial Radioactivity : Nuclear Fission and Fusion. Uses of Radioactive isotopes.

INORGANIC CHEMISTRY

Brief treatment of Elements and their industrially important compounds.

1. Hydrogen : Position in the periodic table. Isotopes of hydrogen. Electronegative and electropositive character. Water, hard and soft, water use of water in industries. Heavy water and its uses.

2. Group I Elements Manufacture of sodium hydroxide, sodium carbonate, sodium bicarbonate and sodium chloride.

3. Group II Elements. Quick and slaked lime. Gypsum. Plaster of Paris. Magnesium sulphate and Magnesia.

4. Group III Elements. Borax, Alumina and Alum.

5. Group IV Elements. Coal, Coke and solid Fuels, silicates, Zolitis semi-conductors. Glass (Elementary treatment).

6. Group V Elements. Maunfacture of ammonia and nitric acid. Rock phosphates and safety matches.

7. Group VI Elements. Hydrogen peroxide, allotropy of sulphur, sulphuric acid Oxides of Sulphur.

8. Group VII Elements. Manufacture and uses of fluorine chlorine. Bromine and Iodine. Hydrochloric acid. Bleaching powder.

9. Group O. (Noble gases) Helium and its uses

10. Metallurgcal Processes : General methods of extraction of metals with specific reference to copper, iron, aluminimum, silver, gold, zink and lead Common alloys of these metals; Nickel and managanese steels.

Organic Chemistry

1. Tetrahedral nature of carbon. Hydridisation and π bonds and their relative strength. Single and multiple bonds. Shapes of molecules. Geometrical and optical isomerism.

2. General methods of preparation properties and reactions of alkanes, alkenes and alkynes. Petroleum and its refining—Its use as fuel.

Aromatic hydrocarbons : Resonance and aromaticity. Benzene and Naphthalene and their analogues. Aromatic substitution reactions.

3. Halegen derivatives · Chloroform Carbon Tetrachloride. Chlorobenzene D D.T. and Gammexane.

4. Hydroxy Compounds . Preparation, properties and uses of primary Secondary and Teritiary alcohols. Methanol Ethanel Gycerol and Phenol. Substitution reactions at aliphatic carbon atom.

5. Ethers : Diethyl ether.

6. Aldehydes and Ketones Formaldehyde, Acetaledehyde Benzaldehyde, acetone, acetophenone.

7. Nitro compounds amines : Nitrobenzene, TNT, Aniline Diazonium Compounds. Azodyes

8 Carboxylic acids Formic, acetic, benezic and salicylic acids acetyl salicylic acid

9. Esters : Ethylacetate, Methyle salicylates, ethyl benzoate.

10. Polyers : Polythene, Tejlod, Perspex, Artificial Rubber, Nylon and polyster fibers.

11 Nonstructural treatment of Carbohydrates Fats and lipids, amino acids and proteins—Vitamins and hormons.

MATHEMATICS I

Algebra

Number Systems—Natural numbers. Integers, Rationals and Irrationals and their elementary properties.

Elementary Number Theory—Division algorithm Prime and Composite numbers. Multiples and factors Factorization Theorem, H.C.F. and L.C.M. Euclidean Algorithm.

Logarithms and their use.

Basic Operations Simple factors H.C.F., L.C.M. of polynomials Solution of quadratic equations, relations between its roots and coefficients Division algorithm.

Laws of Indices A.P. and G.P Geometric series and its masses connected by a string Conservation of energy

Permutations and Combinations Binomial Theorem for positive integral index. Applications of Binomial Theorem for rational indices to approximations

Simultaneous linear equations (upto three unknowns) and their solutions. Fitting of a quadratic curve $y=a+bx+cx^2$ for given values of y at x^1, x^2 and x^3

Simultaneous linear inequations (in two unknowns) and their graphs, 2×2 Matrices and elementary operations Identity matrix. Inverse of a matrix Determinants of order not exceeding 3.

Elementary Mensuration

Area of plane figures Volumes and surfaces of cubes, pyramids right circular cylinders; cones and spheres.

(Practical problems involving the above topics will be asked and appropriate formulae supplied, if necessary).

Trigonometry

Angles and their measures in grades and radians. Trigonometrical ratios.

Addition formulae Sine, cosine and tangent of multiples and sub-multiples of angles Periodicity and graphs of sine, cosine, and tangent. Solution of simple Trigonometric equations

Simple cases of heights and distances

Analytic Geometry

Equation of a line in a plane General equation of first degree Angle between two lines, Parallel and perpendicular lines.

Cartesian equation of a pair of straight lines

Equation of a circle. General equation Equation of tangent and normal to a circle Radical axis of two circles Family of circles

Standard equations of parabola, ellipse and hyperbola. Equations of tangent and normals at a point on the curve.

(Candidates may be allowed the use of 4-place logarithmic tables where considered necessary by the Commission)

MATHEMATICS II

Calculus (Differential and Integral)

Real functions through examples, their graphs Composite and inverse functions. Algebra of real functions Examples of rational and trigonometric functions and step function.

The notions of limit and continuity of a function and of sum difference, product and quotient of functions.

Derivative of a function at a point Derivative as instantaneous rate of change and as slope of a curve.

Derivative of sum, difference, product and quotient of functions Derivatives of composite functions and of inverse of 1—1 functions. Derivatives of polynomial functions, rational functions, irrational functions, trigonometric functions and inverse trigonometric functions.

Primitives of functions and indefinite integrals.

Calculation of primitives in simple cases—integration by (simple) substitution and by parts

Mechanics (Vector methods would be permissible)

Statics Representation of a force, parallelogram of forces Composition and resolution of forces. Like and unlike parallel forces. Moments, couples Conditions of equilibrium—Concurrent forces and coplanar forces (not exceeding 4)

Triangle of forces

Centre of gravity of simple bodies

Work and power. Simple machines (lever, system of pulleys, gear)

Dynamics : Displacement, speed, velocity and acceleration of a particle Motion in a straight line under constant acceleration Simple problems on projectiles. Motion of two masses connected by a string Conservation of energy

(Candidates may be allowed the use of 4-place logarithmic tables where considered necessary by the Commission)

Psychological Test The questions will be designed to assess the basic intelligence and mechanical aptitude of the candidates

PERSONALITY TEST

Each candidate will be interviewed by a Board who will have before them a record of his career both academic and extramural They will be asked questions on matters of general interest Special attention will be paid to assessing their potential qualities of leadership, initiative and intellectual curiosity, tact and other social qualities, mental and physical energy, power of practical application and integrity of character

---

APPENDIX II

REGULATIONS FOR THE PHYSICAL EXAMINATIONS OF CANDIDATES FOR APPOINTMENT TO THE INDIAN RAILWAY SERVICE OF MECHANICAL ENGINEERS

These regulations are published for the convenience of candidates and in order to enable them to ascertain the probability of their coming up to required physical standard. The regulations are also intended to provide guidelines to the medical examiners and a candidate who does not satisfy the minimum requirements prescribed in the regulations cannot be declared fit by the medical examiners. However while holding that a candidate is not fit according to the norms laid down in these regulations it would be permissible for a medical Board to recommend to the Government of India for reasons specifically recorded in writing that he may be admitted to service without disadvantage to Government

It should, however, be clearly understood that the Government of India reserve to themselves absolute discretion to reject or accept any candidate after considering the report of the Medical Board

1 To be passed as fit for appointment a candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties of his appointment

2 (a) In the matter of the correlation of age, height and chest girth of candidates of India (including Anglo-Indian) race, it is left to the Medical Board to use whatever correlation figures are considered most suitable as a guide in the examination of the candidates If there be any disproportion with regard to height, weight and chest girth the candidate should be hospitalised for investigations and X-Ray of the chest taken before the candidate is declared fit or not fit by the Board

(b) However, the minimum standards for height and chest girth, without which candidates cannot be accepted are as follows

	Height	Chest girth fully expanded	Expansion
Male candidates	152 Cm	84 Cm	5 Cm
Female candidates	150 Cm	79 Cm	5 Cm.

The minimum height prescribed is relaxable in case of candidates belonging to Scheduled Tribes and to races such as Gorkhas, Garhwalis, Assamese, Nagaland Tribals, etc whose average height is distinctly lower

3 The candidate's height will be measured as follows —

He will remove his shoes and be placed against the standard with his feet together and the weight thrown on the heels and not on the toes or other sides of the feet He will stand erect without rigidity and with the heels, calves, buttocks and shoulders touching the standard the chin will be depressed to bring the vertex of the head level under the horizontal bar and the height will be recorded in centimetres and parts of a centimetre to halves

4 The candidate's chest will be measured as follows —

He will be made to stand erect with his feet together and to raise his arms over his head The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the interior angles of the shoulder blades behind and lies in same horizontal plane when the tape is taken round the chest The arms will then be lowered to hang loosely by the side and care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace the tape. The candidate will then be directed to take a deep inspiration several times and the maximum expansion of the chest will be carefully noted, and the minimum and maximum will then be recorded in centimetres, thus 84—89, 86—93, etc. In recording the measurements, fractions of less than ½ centimetre should not be noted

N B —The height and chest of the candidate should be measured twice before coming to a final decision.

5. The candidate will also be weighed and his weight recorded in kilograms, fraction of half a kilogram should not be noted

6 The candidate's eye sight will be tested in accordance with the following rules The result of each test will be recorded

(i) General —The candidate's eyes will be submitted to a general examination directed to the detection of any disease or abnormality The candidate will be rejected if he suffers from any squint or morbid conditions of eyes, eye lids or contiguous structures of such a sort as to render or are likely at a future date to render him unfit for service

(ii) Visual Acuity —The examination for determining the acuteness of vision includes two tests one for distant, the other for near vision Each eye will be examined separately

There shall be no limit for minimum naked eye vision but the naked eye vision of the candidates shall, however, be recorded by the Medical Board or other medical authority in every case, as it will furnish the basic information in regard to the condition of the eye.

The candidate will be examined with the apparatus and according to the method prescribed by the Railway Board's Standing Advisory Committee of Medical Officers, to determine his acuity of vision.

N B —No candidate will be accepted for appointment whose standard of vision does not come up to requirement specified below :—

The standard of visual acuity with or without glasses should be as follows —

	Distant Vision		Near Vision	
	Better Eye	Worse Eye	Better Eye	Worse Eye
For candidates below 35 years of age	6/6 or 6/9	6/12 or 6/9	J I	J II

NOTE : (1)

(a) Total Myopia (including the cylinder) shall not exceed —4 00D

(b) Total Hypermetropia (including the cylinder) shall not exceed + 4 00D

(c) In every case of myopia, fundus examination should be carried out and the results recorded In the event of any pathological conditions being present which likely to be progressive and effect the efficiency of the candidate, he shall be declared unfit.

NOTE : (2)

Colour Vision :-

The testing of colour vision is compulsory and the result should be normal in respect of all candidates. Satisfactory colour vision constitutes recognition of signal red, green and white colours with ease and without hesitation. Both the Ishihara's plates and Edridge's Green lantern shall be used for testing colour vision.

Colour perception should be graded into higher and lower grade depending upon the size of the aperture in the lantern as described below :—

Grade	Higher Grade of Colour perception	Lower Grade of Colour perception
1. Distance between the lamp and the candidate	16'	16'
2. Size of the aperture	1·3 mm	13 mm.
3. Time of exposure	5 Seconds	5 Seconds

Higher grade of colour perception is essential for Special Class Apprentices.

NOTE : (3)

The field of vision shall be tested in respect of all Services by the confrontation method. Where such test gives unsatisfactory or doubtful results the field of vision should be determined on the perimeter.

NOTE : (4)

Night Blindness :

Night blindness need not be tested as a routine, but only in special cases. No standard test for the testing of night blindness or dark adaption is prescribed. The Medical Board should be given the discretion to improvise such rough tests e.g. recording of visual acquity with reduced illumination or by making the candidate recognise various objects in a darkened room after he has been there for 20 to 30 minutes. Candidate's own statements should not always be relied upon, but they should be given due consideration.

NOTE : (5)

Ocular conditions other than visual acquity :

(a) Any organic disease or a progressive refractive error which is likely to result in lowering the visual aculty should be considered as a disqualification.

(b) Squint. The presence of binocular vision is essential. Squint, even if the visual acquity is of the prescribed standard, should be considered as a disqualification.

(c) *One eyed person.*—One eyed persons will not be eligible for appointment.

NOTE : (6)

Contact Lenses :

During the medical examination of a candidate, the use of contact lenses is not to be allowed. It is necessary that when conducting eye test, the illumination of the type letters for distant vision should have an illumination of 15 foot candles.

NOTE : (7)

It shall be open to Government to relax any one of the conditions in favour of any candidates for special reasons.

7. *Blood Pressure* :

The Board will use its discretion regarding Blood Pressure. A rough method of calculating normal maximum systolic pressure is as follows :-

(i) With young subjects 15—25 years of age the average is about 100 plus the age.

(ii) With subjects over 25 years of age the general rule of 110 plus half the age seems quite satisfactory.

N.B.—As a general rule any systolic pressure over 140 mm and diastolic over 90 mm should be regarded as suspicious and the candidate should be hospitalised by the Board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness or otherwise. The hospitalization report should indicate whether the rise in blood pressure is of a transient nature due to excitement etc. or whether it is due to any organic disease. In all such cases X-Ray and electrocardiographic examination of heart and blood urea clearance test should also be done as a routine. The final decision as fitness or otherwise of a candidate will, however, rest with the medical board only.

Method of taking Blood Pressure :

The mercury manometer type of instrument should be used as a rule. The measurement should not be taken within fifteen minutes of any exercise or excitement Provided the patient, and particularly his arm is relaxed he may be either lying or sitting. The arm is supported comfortably, at the patients side in a more or less horizontal position. The arm should be freed from clothes to the shoulder. The cuff completely deflated, should be applied with the middle of the rubber over the inner side of the arm and its lower edge an inch or two above the bend of the elbow. The following turns of cloth bandage should spread evenly over the bag to avoid bulging during inflation.

The brachial artery is located by palpitation the bend of the elbow and the stethoscope is then applied lightly and centrally over it below, but not in contact with the cuff. The cuff is inflated to about 200 mm. Hg. and then slowly deflated. The level at which the column stands when soft successive sounds are heard represents the Systolic Pressure. When more air is allowed to escape the sounds will be heard clear sound change to soft muffled fadding sounds represents the diastolic pressure. The measurements should be taken in a fairly brief period of time as prolonged pressure of the cuff is irritating to the patient and vitiate the readings. Re-checking, if necessary, should be done only a few minutes after-complete deflation of the cuff (Sometimes, as the cuff is deflated sounds are heard at a certain level they may disappear as pressure falls and reappear at a still lower level. This Silent Gap may cause error in reading).

8. The urine (passed in the presence of the examiner) should be examined and the result recorded. Where a Medical Board finds Sugar present in a candidate's urine by the usual chemical tests, the Board will proceed with the examination with all its other aspects and will also specially note any signs or symptoms suggestive of the diabetes if except for the glycosuria the Board finds the candidate conforms to the standard of medical fitess required they may pass the candidate "fit subject to the glycosuria being non-diabetic" and the Board will refer the case to a specified specialist in Medicine who has hospital and laboratory facilities at his disposal The Medical Specialist will carry out whatever examinations, clinical and laboratory, he considers necessary including a standard blood sugar tolerance test, and will submit his opinion to the Medical Board upon which the Medical Board finds Sugar presnt in a candidate's uring The candidate will not be required to appear in person before the Board on the second occasion. To exclude the effects of medication it may be necessary to retain a candidate for several days in hospital, under strict supervision.

9. A woman candidate who as a result of tests is found to be preganant of 12 weeks standing or over, should be declared temporary unfit until the confinement is over. She should be re-examined for a fitness certificate six weeks after the date of confinement, subject to the production of a medical certificate of fitness from a registered medical practiitoner.

10. The following additional points should be observed :—

(a) that the candidate's hearing in each ear is good and that there is no sign of disease of the ear, In case

the hearing is defective, the candidate should be got examined by an Ear Specialist, provided that, if the defect is of a temporary nature, remediable by operation *but without the use of Hearing Aid,* and provided further that the candidate has no progressive disease in the ear, he can be declared fit. The following are the guidelines for the medical examination authorities in this regard :—

(i) Marked or total deafness in one ear, other ear being normal.	Unfit for appointment as Special Class Apprentices.
(ii) Perceptive deafness in both ears in which some improvement is possible by a hearing aid.	Unfit for appointment as Special Class Apprentices.
(iii) Perforation of tympanic membrane of central or marginal type.	Any unhealed Perforation of cardrum would disqualify but evidence of healed lesion would not be a cause for disqualification.
(iv) Ears with mastoid cavity subnormal hearing on one side/both sides.	Unfit for appointment as Special Class Apprentices.
(v) Persistently discharging car-operated/unoperated.	Temporarily unfit for both technical and non-technical jobs.
(vi) Chronic, inflammatory/allergic conitions of nose with or without bony deformities of nasal septum.	(*i*) A decision will be taken as per circumstances or individual cases. (*ii*) If deviated nasal septum is present with symptoms Temporarily unfit.
(vii) Chronic inflammatory conditions of tonsils and/orLarynx.	(*i*) Chronic inflammatory conditions of tonsils and/or Larynx Fit. (*ii*) Hoarseness of voice of severe degree if present then—Temporarily unfit.
(viii) Benign or locally malignant tumours of the E. N. T.	(i) Benign tumours—Temporarily unfit. (ii) Malignant tumours —*Unit.*
(ix) Otosclerosis	Unfit for appointment as Special Class Apprentices.
(x) Congenital defects of ear, nose or throat	(i) If not interfering with functions—Fit. (ii) Stuttering of severe degree-Unfit.
(xi) Nasal Poly	Temporarily Unfit.

(b) that his/her speech is without impediment;

(c) that his/her teeth are in good order and that he/she is provided with dentures where necessary for effective mastication (well-filled teeth will be considered as sound);

(d) that the chest is well formed and his/her chest expansion sufficient and that his/her heart and lungs are sound;

(e) that there is no evidence of any abdominal disease;

(f) that he/she is not ruptured;

(g) that he/she does not suffer from hydrocele, varicose veins or piles;

(h) that his/her limbs, hands and feet are well formed and developed and that there is free and perfect motion of all his/her joints;

(i) that he/she does not suffer from any inveterate skin disease;

(j) that there is no congenital malformation or defect;

(k) that he/she does not bear traces of acute or chronic disease pointing to an impaired constitution;

(l) that he/she bears marks of efficient vaccination; and

(m) that he/she is free from communicable disease.

11. Radiographic examination of the chest should be done as a routine in all cases for detecting any abnormality of the heart and lungs which may not be apparent by ordinary physical examination

When any defect is found it must be noted in the Certificate and the medical examiner should state his opinion whether or not it is likely to interfere with the efficient performance of the duties which will be required of the candidate

NOTE.—Candidates are warned that there is no right of appeal from a Medical Board, special or standing appointed to determine their fitness for the above Service. If, however Government are satisfied on the evidence produced before them of the possibility of an error of judgment in the decision of the first Board, it is open to Government to allow an appeal to a second Board. Such evidence should be submitted within one month of the date of the communications in which the decision of the first Medical Board is communicated to the candidate, otherwise no request for an appeal to a second Medical Board will be considered.

If any medical certificate is produced by a candidate as a piece of evidence about the possibility of an error of judgment in the decision of the first Board, the certificate will not be taken into consideration unless it contains a note by the medical practitioner concerned to the effect that it has been given in full knowledge of the fact that the candidate has already been rejected as unfit for service by the Medical Board.

Medical Board and their report.

The following intimation is made for the guidance of the Medical Examiner :

1. The standard of physical fitness to be adopted should make due allowance for the age and length of service, if any of the candidate concerned.

2. No person will be deemed qualified for admission to the public service who shall not satisfy Government, or the appointing authority, as the case may be, that he has no disease, constitutional affection, or bodily infirmity unfitting him, or likely to unfit him for that service.

3. It should be understood that the question of fitness involves the future as well as the present and that one of the main objects of medical examination is to secure continuous effective service, and in the case of candidates for permanent appointment to pevent early pension of payments in case of premature death. It is at the same time to be noted that the question is one of the likelihood of continuous effective service, and that rejection of a candidate need not be advised on account of the presence of a defect which in only a small proportion of case is found to intefere with continuous effective service

4. A lady doctor will be co-opted as a member of the Medical Board whenever a woman candidate is to be examined.

5. The report of the Medical Board should be treated as confidential.

6. In cases where a candidate is declared unfit for appointment in the Government service, the grounds for rejection may be communicated by the appointing authority to the candidate in broad terms without giving minute details regarding the defects pointed out by the Medical Board.

7. In cases where a Medical Board considers that minor disability disqualifying a candidate for Government service can be cured by treatment (medical or surgical) a statement to that effect should be recorded by the Medical Board. There

is no objection to a candidate being informed of the Board's opinion to this effect by the appointing authority and when a cure has been effected it will be open to the authority concerned to ask for another Medical Board.

(A) *Candidate's statement and declaration*

The candidate must make the statement required below prior to the Medical Examination and must sign the Declaration appended thereto. His attention should be specially directed to the warning contained in the Note below :—

1. State your name in full (in block letters)
.....
.....
.....
.....

2. State your age and birth place
.....
.....
.....

3. (a) Do you belong to races such as Gorhas, Garhwalis, Assamese, Nagaland Tribes etc. whose average height is distinctly lower ? Answer 'Yes' or 'No' and if the answer is 'Yes', state the name of the race.
.....

4. (a) Have you ever had smallpox, Intermittent or any, other fever, enlargement or suppuration of glands, Spitting of blood, asthma, heart disease, lung disease, fainting attacks, rehumatism appendicitis ?

OR

(b) Any other disease or accident requiring confinement to bed and medical or surgical treatment.
.....
.....

5. When were you last vaccinated ?
.....
.....

6. Have you or any of your near relations been afflicted with consumption serofula gout, asthma, fits, epilepsy, or insanity ?

7. Have you suffered from any form of nervousness due to over-work or any other cause ?

8. Furinsh the following particulars concerning your family :—

Father's age if living and state of health	Father's age at death and cause of death	No. of brothers living, their ages and state of health	No. of brothers dead, their ages at and cause of death

Mother's age if living and state of health	Mother's age at death and cause of death	No. of sisters living, their ages and state of health	No. of sisters dead, their ages at and cause of death

9. Have you been examined by a Medical Board before ?
.....

10. If answer to the above is yes, please state what service/services you were examined for ?
.....

11. Who was the examining authority ?
.....

12. When and where was the Medical Board held ?
.....

13. Result of the Medical Board's examination if communicated to you or if known.
.....

I declare all the above answers to the best of my belief, true and correct

Candidate's signature.....
Signed in my presence.....
Signature of Chairman of the Board

NOTE :—The candidate will be held responsible for the accuracy of the above statement. By wilfully suppressing any information he will incur the risk of losing the appointment and, if appointed, of forfeiting all claims to Superannuation Allowance or Gratuity.

(B) *Report of the Medical Board on (name of candidate) physical examination.*

1. General Development : Good.....
Fair..... Poor.....
Nutrition : Thin ....average.....
..... obese.....
Height (without shoes) .....
Weight ..... Best Weight .....
When ? ..... .Any recent change in weight ? .....
Temperature .....
.....
.....

Girth of Chest :—

(1) (After full inspiration)

(2) (After full expiration)

2. Skin. Any obvious disease

3. Eyes :

(1) Any disease .....
(2) Night blindness .....
(3) Defect in colour Vision .....
(4) Field of vision .....
(5) Visual Acuity .....
(6) Fundus Examination .....

Acuity of vision	Naked eye	With glasses	Strength of glasses Sph. Cyl. Axis
Distant vision	R.E. L.E.		
Near vision	R.E. L.E.		
Hypermetropia (Manifest)	R.E. L.E.		

4. Ears : Inspection.....Hearing.....
Right Ear ..... Left Ear .....

5. Glands .... Thyroid .....

6. Condition of teeth ....

7. Respiratory System : Does physical examination reveal anything abnormal in the respiratory organs ?
.....
.....

If yes, explain fully .....

8. Circulatory System :
(a) Heart : Any organic lesions ?.....
Rate : Standing .....
..... After hopping 25 times
..... 2 minutes after hopping

Blood pressure; Systolic
Diostolic :

9. Abdomen Girth ..... Tenderness .....
..... Hernia .....

(a) Palpable : Liver.....
Spleen ..... Kidneys .....
Tumours .....

(b) Haemorrhoids ..... Fistula .....

10. Nervous System : Indications of nervous or mental disabilities.

11. Loco Motor System : Any Abnormality .....
.....

12. Genito Urinary System : Any evidence of Hydrocele, Varicocele etc.

Urine Analysis :

(a) Physical appearance ..... (b) Sp. Gr. ..... (c) Albumen .....

(d) Sugar ..... (e) Casts .....

(f) Cells .....

13. Report of X-ray examination of Chest.

14. Is there anything in the health of the candidate likely to render him unfit for the efficient discharge of his duties in the service for which he is a candidate?

NOTE :—In case of a female candidate, if it is found that she is pregnant of 12 weeks standing or over she should be declared temporarily unfit, *vide* Regulation 9

15. For which services has the candidate been examined and found in all respects qualified for the efficient and continuous discharge of his duties and for which of them is he considered unfit.

Date.....

Place.....

President.....
Member.....

APPENDIX III

Conditions of Apprenticeship for Special Class Apprentices Selected through this Examination

The terms and conditions of Apprenticeship will be as set out in the form of agreement prescribed in the Indian Railway Establishment Manual, brief particulars of which are given below :—

1. A candidate offered appointment as a Special Class Railway Apprentice shall execute an agreement in the prescribed form binding himself and one surety jointly and severally, to refund, in the event of his failing to complete training as a Special Class Railway Apprentice or to accept the service as an officer on probation in the Indian Railway Service of Mechanical Engineers, if offered to him, to the satisfaction of the Government, any moneys paid to him and any other moneys expended by Government on him, the Government being the exclusive judge of the quantum of such expense.

The apprentices will be liable to undergo practical and theoretical training for 4 years in the first instance under an indenture binding them, to serve on the Indian Railways on the completion of their training, if their services are required. The continuance of apprenticeship from year to year will depend on satisfactory reports being received from the authorities under whom the apprentices may be working. If at any time during his apprenticeship, any apprentice does not satisfy the superior authorities that he is making good progress, he will be liable to be discharged from the apprenticeship.

NOTE.—The Government of India may at their discretion after or modify the periods and courses of training.

2. The practical and theoretical training referred to above will be given in a railway workshop for four years of their apprenticeship. Special Class Apprentices must pass within this period either Parts 1 and 2 of the council of Engineering Institutions Examination (London) or Section 'A' and 'B' of the Associate Membership of Institution of Engineers (India) Examination. The apprentices will be granted a stipend of Rs. 350 per mensem during the 1st and 2nd years and Rs. 400 per mensem during the 3rd and 4th years. During the apprenticeship, the candidates will be required to undergo both theoretical and practical training. There will be in all six Semester Examinations passing each of which is compulsory. If unsuccessful at any of these examinations they will, depending on their performance, be asked to sit for and pass in supplementary examination or reverted to the next lower batch or removed from apprenticeship.

NOTE.—Except as provided for in paragraph 4 below or in cases of discharge or dismissal due to insubordination, intemperance or other misconduct or breach of agreement, a week's notice of discharge from apprenticeship will be given.

3. Before the completion of 4th year of training referred to in paragraph 2 above, the apprentices will be listed in order of merit on the results of the examination held and the reports on the apprentices received during the period of apprenticeship. Successful apprentices will be appointed on probation for 3 years in the Indian Railway Service of Mechanical Engineers.

NOTE.—An apprentice will be considered to have obtained the qualifying standard if he obtains a minimum of 50 per cent marks in the aggregate in all the examinations held during the six Semester Examinations of his training including the marks of the reports of the Principal, Indian Railways Institute of Mechanical and Electrical Engineers, Jamalpur and of the Deputy Chief Mechanical Engineer, provided that in each of the six Semester Examinations he has obtained a minimum of 45 per cent marks in the aggregate and a minimum of 40 per cent marks in any one subject.

4. Unsuccessful apprentices will be discharged from their apprenticeship, one month's notice of discharge being given alone with the intimation that the apprentice has been unsuccessful.

5. After successful completion of 4 years apprenticeship, the apprentices will be appointed as probationers in the Indian Railway Service of Mechanical Engineers subject to the proviso below para 1 in Appendix IV. Particulars as to pay and general conditions of service for officers of Indian Railway Service of Mechanical Engineers have been given in Appendix IV.

APPENDIX IV

Particulars Regarding the Indian Railway Service of Mechanical Engineers

1. The period of probation will be three years. The appointment and pay as probationers will commence from (a) the date of completion of 4 years of the apprenticeship or (b) the actual date of completion of training whichever is later;

Provided however that those Special Class Appentices who could not pass Parts I & II of AMIME (London)/Parts A & B of AMIE (India) Examination within 4 years of their apprenticeship will be deemed to have been appointed as probationers only from the date when they pass in full either of these examinations.

NOTE—(i) The retention in service of probationers and the grant of annual increments are subject to satisfactory reports on their work being received at the end of each year of probation.

(ii) The services of a probationer may be terminated on three months notice on either side.

2. During the 1st and 2nd years of probation they will be sent to one or more of the Indian Railways for undergoing training in accordance with the Syllabus prescribed for the purpose as modified from time to time. The probationers may also be required to attend after working hours, a technical college or special lectures on Engineering subjects. They will be given an oral test at the end of each phase of training during these two years of training and at the end of the 2nd year, they will be given a written test to be conducted jointly by the Chief Mechanical Engineer and the Chief Operating Superintendent of the Railway to which they are posted, on the training received by the probationers during this period. The qualifying marks at this test will be 50 per cent.

3. During the probationary period, they will have to attend a prescribed course of training in the Railway Staff College, Baroda and to qualify in the test held in the College. The test in the College is compulsory and a second chance, in the event of failure, will not be given except in exceptional circumstances and provided the record of the officers is such as to justify such relaxation being made. Failure to pass the test may involve the termination of service, and in any case, the officers will not be confirmed till they pass the test, their period of training and/or probation being extended as necessary. Before the end of the second year of probation, they will be required to undergo a departmental examination which will include Accounting and Estimating, General and Subsidiary Rules, Factory Act, Workmen's Compensation Act, ability to handle labour and general application to work or works on which each officer, is engaged while on probation. They will be required to pass the departmental examinations within the second year of the probationary period. Failure to pass the examination may result in termination of service and will, in any case, involve stoppage of increments. In case where the probationary period has to be extended for failing to pass any or all the departmental examinations within the stipulated period on their passing the departmental examination and being confirmed after the expiry of extended period of probation the drawal of the first and subsequent increments will be regulated by the Rules and orders in force from time to time. It must be noted that a second chance to pass any examination will as a rule not be given except under exceptional circumstances and only provided the other record of the candidate during the period of his training is such as to justify such relaxation being made.

NOTE.—The period of training and the period of probation against a working post may be modified at the discretion of Government. If the period of training is extended in any case due to the training not having been completed satisfactorily, the total period of probation will be correspondingly extended.

4. Probationers should have already passed or should pass during the period of probation, an examination in Hindi in the Devanagari script of an approved standard. This examination may be the "PRAVEEN" Hindi. Examination which is conducted by the Directorate of Education, Delhi, or one of the equivalent Examinations recognised by the Central Government.

No probationary officer can be confirmed or his pay in the time scale raised to Rs. 780.00 per month unless he fulfils this requirement; and failure to do so will involve liability to termination of service. No exemption can be granted.

5. Any person appointed to the Indian Railway Service of Mechanical Engineers shall, if so required, be liable to serve in any Defence Service or post connected with the Defence of India for a period of not less than four years including the period spent on training, if any;

Provided that such a person

(a) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment as probationer;

(b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

6. Officers of the Indian Railway Service of Mechanical Engineers—

(a) will be eligible to pensionary benefits, and

(b) shall subscribe to the State Railway Non-Contributory Provident Fund under the Rules of that fund;

as applicable to Railway Servants appointed on the date they join service.

7. Pay will commence from the date of joining service as a probationer. Service for increments will also count from the same date subject to paragraph 3 above. Particulars as to pay are contained in paragraph 10 of this Appendix.

8. Officers recruited under these regulations shall be eligible for leave in accordance with the rules for the time being in force applicable to officers of Indian Railways.

9. Officers will ordinarily be employed throughout their service on the Railway to which they may be posted on first appointment and will have claim, as a matter of right to transfer to some other Railway but the Government of India reserve the right to transfer such officers in the exigencies of service, to any other Railway or Project in or out of India. Officers will be liable to serve in the Stores Department of Indian Railways if and when called upon to do so.

10. The following are the rates of pay at present admissible to officers appointed to Indian Railway Service of Mechanical Engineers.

Junior scale : Rs. 700—40—900—EB—40—1,100—50—1,300/-.

Senior scale : Rs. 1,100 (6th year or under)—50—1,600/-.

Junior Administrative Grade : Rs. 1,500—60—1,800—100—2,000/-.

Senior Administrative Grade : (i) Rs. 2,250—125/2—2,500 (ii) Rs. 2,500—125/2—2,750/-.

NOTE. 1.—Probationary officers will start on the minimum of the Junior scale and will count their service for increment from the date of joining. They will, however, be required to pass any departmental examination or examinations that may be prescribed before their pay can be raised from Rs. 740.00 p.m. to Rs. 780.00 p.m. in the time scale.

NOTE 2.—Increment from Rs. 740.00 to Rs. 780.00 will be stopped if they fail to pass departmental examinations within the first two years of the training and probationary period. In cases where the training period has to be extended for failure to pass all the departmental examinations within the stipulated period, on their passing the departmental examinations after expiry of the extended period of training, their pay from the date following that on which the last examination ends, will be fixed at the stage, in the time scale, which they would have otherwise attained but no arrears of pay would be allowed to them. In such cases the date of future increments will not be affected.

11. The increments will be given for approved service only and in accordance with the rules of the Department.

12. Promotions to the Administrative grades are dependent on the occurrence of vacancies in the sanctioned establishment and are made wholly by selection, mere seniority does not confer any claim for such promotion.

MINISTRY OF LABOUR

DIRECTORATE GENERAL OF EMPLOYMENT & TRAINING

New Delhi, the 27th December 1980

RESOLUTION

Subject: Central Committee on Employment

No. DGE&T ... The Government of India had in 1958, set up a Central Committee on Employment to advise the then Ministry of Labour and Employment on problems relating to employment ... employment opportunities and the working of the National Employment Service. This Committee has been reconstituted from time to time and the term of the last reconstituted Committee expired on 26th May, 1978.

2. Since the functions of the Central Committee on Employment were drawn up two decades ago in the light of the then existing conditions, Government have reviewed the same in the context of the current priorities in the field of employment. Government have accordingly decided to set up a new Central Committee on Employment to advise the Ministry of Labour on problems relating to employment. The function and composition of the Committee will be as follows:—

(1) The Central Committee on Employment will:

(a) review the employment and unemployment situation from time to time and to suggest ways and means of tackling the unemployment and under-employment problems and in particular to advise on the employment policies and strategies to be adopted for the purpose;

(b) advise on matters relating to employment orientation in development policies and strategies particularly in the fields of education and technology;

(c) review from time to time the manpower and employment information system and to suggest measures to strengthen the information base for employment planning and promotion;

(d) advise on the ways and means of bringing about a wider dispersal of employment opportunities in the country so as to ensure equitable access to employment opportunities for all sections of the society, particularly for people belonging to the weaker sections of the society and backward areas;

(e) advise on the further development of the National Employment Service so as to enable it to play an active role in employment planning and programme as well as in manpower mobilisation; and

(f) assess the requirements of trained craftsmen and advise the National Council for Training on Vocational Trades.

(2) *The Committee will consist of*:

(1) The Union Minister for Planning and Labour: Chairman

(2) Minister of State for Labour: Vice-Chairman.

(3) Deputy Minister for Labour: Vice-Chairman

(4) Member in charge of Rural & Urban Employment Programmes in the Planning Commission

(5) Secretary, Ministry of Labour

(6) Secretary, Ministry of Education

(7) Director General of Employment & Training and Joint Secretary, Ministry of Labour: Member Secretary

(8) Director of Employment Exchanges, Ministry of Labour

(9) The Head of Labour, Employment and Manpower Division, Planning Commission

(10) Development Commissioner, Small Scale Industries, Ministry of Industry

(11) A representative of the Appropriate Technology Cell in the Ministry of Industry

(12) A representative of the Khadi & Village Industries Commission

(13) A representative of the Ministry of Rural Reconstruction

(14) A representative of the Minorities Commission

(15—46) Representatives each of all State Governments and Union Territory Administrations

(47—49) Three representatives of Workers' Organisations

(50—52) Three representatives of Employers' Organisations

(53) A representative of the Bureau of Public Enterprises, Ministry of Finance

(54—63) Ten Members of Parliament, four of whom are from the Opposition Parties, with at least one Member from each of the six Zones in the country

(64-65) Two Economists

(66) Director, Institute of Applied Manpower Research, New Delhi

(67) Dean, National Labour Institute, New Delhi

(68) A representative of All India Women's Organisations

(69-70) Two representatives of Scheduled Castes/Scheduled Tribes Organisation (to be rotated every year among different organisations).

(3) *Term of Office of Members*

The term of office of members of the Committee shall be for 3 years.

(4) *Sub-Committees*

The Committee is empowered to set up sub-committees as required, for assisting it in the discharge of its functions.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be published in in the Gazette of India for general information.

K. S. BAROI,
Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1981